कानपुर नगर निगम

मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक जो दिनांक 30.08.14 को सम्पन्न हुई,का कार्यवृत्त

पूर्वान्ह 11.00 बजे

स्थानः नगर निगम समिति कक्ष, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी / 109 / सचिव (न.नि.) / 14–15 दिनांक : 04-09-2014

सेवामें

मा0 श्री / श्रीमती...,

पार्षद वार्ड सं0......... / सदस्य कार्यकारिणी

महोदय / महोदया,

नगर निगम कार्यकारिणी समिति की दिनांक 30.08.2014 दिन शनिवार को आहूत बैठक, का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 01 से 70 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (आर) / (वी) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–30.08.2014 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय स्थित समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई, बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति

1.	श्री जगतवीर सिंह द्रोण	महापौर / सभापति
2.	श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू'	पार्षद / उप सभापति
3.	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
4.	श्रीमती उत्तम दुबे	पार्षद / सदस्य
5.	श्रीमती गीता देवी	पार्षद / सदस्य
6.	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
7.	श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
8.	श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
9.	श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
10.	श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
11.	श्री मदन लाल	पार्षद / सदस्य
12.	श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1.	श्री उमेश प्रताप सिंह	नगर आयुक्त
2.	श्री विनोद कुमार गुप्त	अपर नगर आयुक्त
4.	श्री डी. के. गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
5.	डा0 पंकज श्रीवास्तव	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
6.	श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियंता ''सिविल''
7.	श्री राकेश मोहन अस्थाना	मुख्य अभियंता ''वि0 / यॉ0''
8.	श्री राजीव बाजपेई	महाप्रबन्धक,जलकल
9.	डा0 ए0के0सिंह	पशु चिकित्साधिकारी

ह०.....महापौर

पूर्वान्ह 11:00 बजे बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री संदीप जायसवाल ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी जिससे भी क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण हेतु कहा जाता है, वह सुनते ही नही है।

सभापति ने नगर आयुक्त को बैठक एजेण्डा अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त के निर्देश पर प्रभारी अपर नगर आयुक्त ने कार्यवाही प्रारम्भ की ।

प्र0सं0–552

नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/44/न.आ./पर्या.अभि./13–14 दिनांक 26.06.14 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित हैं।

:–प्रस्ताव–:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज (District-IV & Part-III) हेतु नगरीय निकाय, निदेशालय के पत्र संख्याः पीएमयू/ 363/124 (4)/जे.एन.एन.यू.आर.एम./ 2013–14 दिनांक 07 अप्रैल, 2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी तृतीय किश्त का निकायांश ` 15,55,20,000.00 एवं उक्त योजना की लागत की तृतीय किश्त में राज्याशं की कैप्ड अवशेष धनराशि ` 1,28,80,000.00 जो निदेशक नगरीय निकाय, निदेशालय के पत्र संख्याः पीएमयू/ 904/124 (4)/जे.एन.एन.यू.आर.एम./ 2013–14 दिनांक 05.03.2014 के अनुसार पूर्व में प्राप्त हुई, को सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि ` 16,84,00,000.00 कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना है, योजना से सम्बन्धित बैंक खातें में अर्जित ब्याज की सही सूचना न उपलब्ध कराये जाने को दृष्टिगत् ब्याज के मद में समायोजन हेतु उपलब्ध धनराशि ` 16,84,00,000.00 में से ` 50,00,000.00 की धनराशि को रोकते हुए अवशेष ` 16,34,00,000.00 की धनराशि योजना व कार्य हित में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.06.14 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 553–नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/45/न.आ./पर्या.अभि./13–14 दिनांक 25.06.14 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित हैं।

:–प्रस्ताव–:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज परियोजना–II (Construction of 210 Mld STP at Bingawan) हेतु नगरीय निकाय, निदेशालय के पत्र संख्याः पीएमयू/ 363/124 (4)/जे.एन.एन.यू.आर.एम./ 2013–14 दिनांक 07 अप्रैल, 2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चतुर्थ व अन्तिम किश्त का निकायांश ` 7,57,54,500.00 कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जाना है, बैंक खातें में अर्जित ब्याज की सही सूचना न उपलब्ध कराये जाने को दृष्टिगत् ब्याज के मद में समायोजन हेतु उपलब्ध धनराशि ` 7,57,54,500.00 में से ` 50,00,000.00 की धनराशि को रोकते हुए अवशेष ` 7,07,54,500.00 की धनराशि योजना व कार्य हित में कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण

ह०.....महापौर

नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर को अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.06.14 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।
.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 554— नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/ 50 /न.आ./पर्या.अभि./14—15 दिनांक 04. 07. 2014 को नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित हैं।

<u>:—प्रस्ताव—:</u>

स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्लोबल वेन्चर्स प्रा. लि. (अक्षय जल) द्वारा प्रेषित पत्र पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निर्देशानुसार उक्त संस्था द्वारा संचालित इन्दिरा स्थित 1500 लीटर क्षमता के वाटर फिल्टर प्लान्ट का निरीक्षण किया गया । जिसमें 20 लीटर के कन्टेनर्स के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उक्त संस्था द्वारा की जा रही है। अवगत कराना है कि इन्दिरा नगर क्षेत्र के समीप कई मलिन बस्तियॉ, मुख्यतः सी.टी.एस. कालोनी कल्याणपुर भी है, जहॉ लोगों को साफ जल की उपलब्धता कम है। इसे पूर्ण करने के उद्देश्य से कन्टेनर्स का क्रय उन्हें बस्तियों में वितरित किया जाना है। इस हेतु 2000 कन्टेनर्स क्रय किये जाने हेतु प्रति कन्टेनर्स ` 250.00 की दर से कुल ` 5.00 लाख की धनराशि का व्यय सम्भावित है। स्वच्छ पेयजल संस्था द्वारा ` 5.00 कन्टेनर्स की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। श्री ग्लोबल वेन्चर्स प्रा. लि. (अक्षय जल) द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टि से उक्त 2000 कन्टेनर्स की मांग नगर निगम से की है। कार्य जनहित एवं जन स्वास्थ्य से जुड़ा होने की दृष्टि से 2000 कन्टेनर्स ` 250.00 प्रति कन्टेनर्स की दर से क्रय करने के साथ ही ` 5,00,000.00 की धनराशि नगर निगम निधि से व्यय करने की अनुमति/स्वीकृति हेतु मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि प्रस्ताव अच्छा है, परन्तु महाप्रबन्धक, जलकल स्थिति स्पष्ट करें कि 05 रू0 प्रति कन्टेनर पानी संस्था द्वारा दिया जायेगा।
..........इस पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भा0ज0पा0, कांग्रेस व स0पा0 पार्षद दल के एक—एक सदस्यों को सम्मिलित करते हुये कमेटी गठित की जाये, जो अपना सुझाव अगली कार्यकारणी के पूर्व सभापति के समक्ष प्रस्तुत करेगी, साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि सभापति के विवेक पर ही एक सदस्य उक्त कमेटी में सम्मिलित किया जायेगा।

प्र0सं0 555— नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/89/न.आ./पर्या.अभि./14—15 दिनांक 12.08.2014 द्वारा नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित हैं।

<u>:—प्रस्ताव—:</u>

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत कानपुर सीवरेज (District-IV & Part-III) हेतु नगरीय निकाय, निदेशालय के पत्र संख्याः पीएमयू/363/124 (4)/जे.एन.एन.यू.आर.एम./ 2013—14 दिनांक 07 अप्रैल, 2014 के अनुसार शासन से प्राप्त तृतीय किश्त की निकायांश ` 15,55,20,000.00 के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को रू. 15,05,20,000.00 की धनराशि पूर्व में ही उपलब्ध करायी जा चुका है। अवशेष निकायांश 50,00,000.00 की धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, उ.प्र. जल निगम कानपुर के अनुरोध पर योजना व कार्य हित में कार्यदायी संस्था को अवशेष निकायांश रू. 50,00,000.00 अवमुक्त/भुगतान करने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.08.2014 को प्रदान की गयी है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।
.... पढ़ा गया।

ह०.....महापौर

प्र0सं0 556– नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/100/न.आ./प्रो. सेल/2014–15 दिनांक 21.08.14 को मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव–:

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत परिवहन निगम को नगरीय परिवहन योजना के संचालन हेतु नगर निगम द्वारा अशंदान के रूप में ` 291.55 लाख का भुगतान किया जाना था, जिसके सापेक्ष आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अवस्थापना निधि से स्वीकृतोपरान्त ` 250.00 लाख की धनराशि का भुगतान पूर्व में ही प्रबन्ध निदेशक, के.सी.टी.एस.एल. को किया जा चुका है। उक्त योजना के अन्तर्गत बसों के संचालन हेतु अवशेष अंशदान ` 41.55 लाख के भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, के.सी.टी.एस.एल. के अनुरोध पर अवशेष अंशदान को दो किश्तों में 15–15 दिन के समयान्तराल में किये जाने की स्वीकृति नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.08.2014 को प्रदान की गयी है। जिसके अनुसार प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ` 20.55 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि

` 21.00 लाख का भुगतान नगर निगम निधि से किया जाना है। जो मा. कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित है।

.... पढ़ा गया।

प्र0सं0 557– नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/108/न.आ./अ0अ0–2 दिनांक 25.03.14 को नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत स्वीकृतार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव–:

जोन–2 वार्ड 19 सनिगवॉ के अन्तर्गत छतमरा मुख्य मार्ग से टिकरिया गॉव रोड पर किनारे किनारे आर0सी0सी0 नाले का निर्माण कार्य आगणन धनांक रू0 19,61,398.00 तैयार किया गया है, स्थल पर नाला न होने के कारण क्षेत्र में जल भराव की समस्या निरन्तर बनी रहती है, कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है। कार्य का व्यय नगर निगम निधि से किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आगणन धनांक 19,61,398.00 की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 558– नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/124/प0चि0अधि/ दिनांक 27.08.14 के द्वारा मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

:–प्रस्ताव–:

मा0 महापौर जी द्वारा दिनांक 12.08.2014 को दिये गये निर्देश के कम में मा0 कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रस्ताव का प्रारूप अवलोकनार्थ प्रेषित है।

मेसर्स एबेकस लीगल ग्रुप के अनुबन्ध निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06.07.2013 को निरस्त करते हुये नगर निगम के सीवेज फार्म क्षेत्र में सी0एल0आर0आई0 के पास जाजमऊ में पुनः आधुनिक पशु बधशाला निर्माण हेतु डी0पी0आर0 बनाये जाने को अनुमोदित/स्वीकृत करने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त ने उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर हुई है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ0प्र0 सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया जायेगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी निरन्तर समीक्षा की जा रही है। इस पर होने वाले व्यय को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

ह0.....महापौर

सभापति ने कहा कि वातावरण प्रदूषित होने के कारण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्लाटर हाउस बन्द करा दिये गये है, परन्तु बकरमण्डी स्लाटर हाउस में चोरी–छिपे अभी भी पशु काटे जा रहे है। प्रदूषित वातावरण को समाप्त करने के लिये मॉडल पशु वधशाला का निर्माण हो जाने से जगह–जगह जो पशु काटे जाते है, उस पर रोक लग सकेगी, क्योंकि थाने का संरक्षण प्राप्त होने के कारण पशु वधशाला बन्द होने के बावजूद भी जानवर काटे जा रहे है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित–2

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार / फर्म का नाम	निर्णय
559	जोन–2 वार्ड 91 के अर्न्तगत रवीन्द्र नगर में सुनील के मकान से तिवारी गुमटी तक गहरी नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	669228.00,	669228.00	आगणन दर पर	मे0 सिकन्दर सप्लायर्स	पढ़ा गया।
560	जोन–2 वार्ड 53 के अन्तर्गत दहेली सुजानपुर में डी 143 से डी 180 तक प्लान्ट द्वारा रोड सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	988759.00	946242.00	आगणन दर से 4.3 % निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	पढ़ा गया।
561	जोन–2 वार्ड 67 के अर्न्तगत जुगईया पुरवा गोपाल नगर मे महेन्द्र सिह यादव के मकान से प्रधान पब्लिक स्कूल एक तरफ नाली एव इंटरलाकिग टाइल्स द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	975101.00,	856822.00	आगणन दर से 12. 13 % निम्न	मे0 रामकिशोर	पढ़ा गया।
562	जोन–2 वार्ड 67 क अर्न्तगत जुगईया पुरवा गोपाल नगर मे प्रधान पब्लिक स्कूल से गुप्ता चौराहा तक 20 मी0 लम्बी नाली एव इंटरलाकिग टाइल्स द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	911560.00,	911468.00	आगणन दर से 0. 01 % निम्न	मे0 एवरग्रीन इं0 प्रा0	पढ़ा गया।
563	जोन–2 वार्ड–77 के अर्न्तगत श्याम नगर में सी ब्लाक सी 78 से सी 89 तक नाली एवं प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	920490.00,	874281.00	आगणन दर से 5. 02 % निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	पढ़ा गया।
564	जोन–2 वार्ड 10 चकेरी के अर्न्तगत ग्राम मदारपुर में लक्ष्मी नरायण तिवारी की दूकान से अंगनू के मकान तक सडक व नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	948000.00	947526.00	आगणन दर से 0. 05 % निम्न	मे0 सिद्धेश बिल्डर्स	पढ़ा गया।
565	जोन–2 वार्ड 66 डिफेन्स कालोनी के अर्न्तगत भवन सं0 डी / 496 तक केसी नाली एवं प्लान्ट द्वारा रोड सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	936925.00	920061.00	आगणन दर से 1.8 % निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	पढ़ा गया।
566	जोन–2 वार्ड 70 के अर्न्तगत श्री संतोष आर्या के मकान से छांगुर के मकान होते हुये रवीन्द्र प्रताप के मकान तक नाली एवं इंटरलॉकिग कार्य।	नगर निगम निधि	852223.00	767002.00	आगणन दर से 9.9999 % निम्न	मे0 मेहर कान्सं0	पढ़ा गया।
567	जोन–2 वार्ड 19 के अर्न्तगत चरारी मुख्य मार्ग से के0आर0 एजूकेशन सेन्टर तक साइड पटरी पर इंटरलाकिग टाइल्स का कार्य।	नगर निगम निधि	999835.00	908550.00	आगणन दर से 9. 13 % निम्न	मे0 परिहार इं0 प्रा0	पढ़ा गया।
568	जोन–2 वार्ड 71 के अर्न्तगत गॉधी चौक चौराहे की रोड पर ए0के0कटियार के मकान से दीपक यादव के मकान तक इंटरलॉकिग का कार्य।	नगर निगम निधि	794480.00	715827.00	आगणन दर से 9. 90 % निम्न	मे0 ओम बिल्डर्स	पढ़ा गया।
569	जोन–2 वार्ड 66 डिफेन्स कालोनी के अर्न्तगत भवन सं0 डी / 496 से डी / 505 तक केसी नाली एवं प्लान्ट द्वारा रोड सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	924407.00	907767.00	आगणन दर से 1.8 % निम्न	मे0 डेल्टा इरेक्टर्स प्रा0 लि0	पढ़ा गया।

ह०.....महापौर

माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित–2

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार / फर्म का नाम	निर्णय
570	जोन–2 वार्ड 86 के अर्न्तगत जाजमऊ उत्तरी गज्जूपूरवा अशरफाबाद मस्जिद से पैसविक लेदर प्रा0 लि0 स्वान टेनरी तक प्लान्ट द्वारा रोड एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1490451.00	1490451.00	आगणन दर पर	मेसर्स इन्डियन इफाब्यूल्ट प्रा0 लि0	स्वीकृत
571	जोन–2 वार्ड 29 सफीपूर के अर्न्तगत धाऊखेडा बस्ती में देवीप्रसाद के मकान से छक्की लाल के मकान तक एवं सुमन चौरसिया के मकान से शिव शंकर चौरसिया के मकान होते हुये रामचन्दर की दूकान तक इंटरलॉकिग द्वारा सडक एवं नाली का सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1335344.00	1335211.00	आगणन दर से 0.01 % निम्न	मे0 एवरग्रीन इं0 प्रा0	स्वीकृत
572	जोन–2 वार्ड 30 के अर्न्तगत गंगापुर गॉव में श्री रमेश के मकान से श्री अशोक तिवारी के मकान तक इंटरलॉकिग सडक एवं दानों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	नगर निगम निधि	1287954.00	1133528.00	आगणन दर से 11.99 % निम्न	मे0 जसविन्दर सिंह	स्वीकृत
573	जोन–2 वार्ड 53 के अन्तर्गत दहेली सुजानपुर में ईब्लाक मे डी 318 से 325 तक नाली एवं प्लान्ट द्वारा सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1126262.00	1017803.00	आगणन दर से 9.63 % निम्न	मे0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत
574	जोन–2 वार्ड–77 के अर्न्तगत सी0 ब्लाक के अन्तर्गत एल0 आई0 सी0 पार्क भवन सं0 सी0 256 से भवन सं0 सी0 264 तक एवं भवन सं0 सी0 231 से भवन सं0 239 तक सडक सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	1108007.00	997982.00	आगणन दर से 9.93 % निम्न	मे0 जगदम्बा इं0 प्रा0	स्वीकृत

नगर आयुक्त महोदय द्वारा **अभियन्त्रण खण्ड–3** के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(5)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष **सूचनार्थ** प्रस्तुत है।

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
575	जोन–3 वार्ड 12 टी0पी0 नगर के अन्तर्गत जयपुर गोल्डेन ट्रान्सपोर्ट से म0न0 133/369 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	853993.00	11.99% निम्न	751600.00	मे0 पी0एस0 इं0 प्रा0	पढ़ा गया।
576	जोन–वार्ड 24 साकेत नगर डम्प के अन्तर्गत दीप सिनेमा रोड तिराहे से गौशाला चौराहे तक पैच वर्क द्वारा सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	986083.00	आगणन दर	986083	मेसर्स लखन का0क0	पढ़ा गया।
577	वार्ड–24 के अन्तर्गत साकेत नगर में मकान नं0 127/811 डब्लू 1 से 127/817 डबलू–1 तक सी0सी0 सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	956222.00	15.00% निम्न	812789.00	मेसर्स सिंह कान्स0	पढ़ा गया।

ह०.....महापौर

578	जोन–3 वार्ड–54 के अन्तर्गत ब्लाक न0 272 से ब्लाक न0 274 तक इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा सड़क एवं पी0सी0सी0 ब्लाक द्वारा नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	572155.00	9.99% निम्न	514996.00	मेसर्स त्रिकूट इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया।
579	जोन 03 के अन्तर्गत गौशाला चौराहे से संजय वन तक सड़क का सुधार कार्य। हेतु विभिन्न साम्रगी की आपूर्ति का कार्य।	5(3)B	935365.00	आगणन दर	935365.00	मेसर्स भारत इन्टर0	पढ़ा गया।
580	जोन–3 वार्ड–55 के अन्तर्गत म0न0–129 एच–1 से म0न0–165 एच–1 एवं श्री जर्नादन सिंह के मकान तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	736778.00	17.07% निम्न	610927.00	मेसर्स कृष्णा कान्स0क0	पढ़ा गया।
581	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्ग्रत एफ0 टी0 आई0 से सेवा आश्रम चौराहे तक (संजयवन वाली सडंक) के सुधार हेतु विभिन्न सामग्री की आपूर्ति का कार्य।	5(3)B	974919.00	आगणन दर	974919.00	मेसर्स भारत इन्टरप्रा0	पढ़ा गया।
582	जोन–3 वार्ड–58 के अन्तर्गत बाबा नगर मलीन बस्ती में म0न्0–246 से म0न0–247 / 118 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	780084.00	14.7% निम्न	665411.00	मेसर्स दिलीप कुमार बाजपेई	पढ़ा गया।
583	जोन–3 वार्ड–75 के अन्तर्गत मुंसी पुरवा स्थित बारात शाला का सुधार कार्य	5(3)B	537750.00	0.01% निम्न	537697.00	मे0 आशीष एण्ड सन्स	पढ़ा गया।
584	जोन–3 वार्ड–79 के अन्तर्गत लाल कालोनी मे ब्लाक न0–66 से 72 तक सड़क नाल एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	907952.00	0.01% निम्न	907943	मे0बाबा गोकर्ण नाथ बिल्डर्स	पढ़ा गया।
585	जोन–3 वार्ड–79 के अन्तर्गत लाल कालोनी मे ब्लाक न0–81 से 84 तक फुटपाथ एवुं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	927827.00	18.01% निम्न	760725.00	मे0बाबा गोकर्ण नाथ बिल्डर्स	पढ़ा गया।
586	जोन–3 वार्ड–79 के अन्तर्गत लाल कालोनी मे ब्लाक न0–33 से 35 एवं 99 से 101 तक ˙ फुटपाथ एवुं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	980430.00	10.00% निम्न	882387.00	मे0कामदगिरी इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया।
587	जोन–3 वार्ड–79 के अन्तर्गत लाल कालोनी मे ब्लाक न0–63 से 65 तक सडक का सुधार कार्य।	5(3)B	631478.00	15.00% निम्न	536756.00	में0सॉई ट्रेडिंग क0	पढ़ा गया।
588	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत म0न0 सी –347 से सी–363 एवं सी–408 से 391 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	803136.00	17.07% निम्न	666041.00	मेसर्स कृष्णा कान्स0क0	पढ़ा गया।
589	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत म0न0 सी –85 से सी–101 एवं सी–148 से 163 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	804421.00	17.07% निम्न	667107.00	मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स	पढ़ा गया।
590	वार्ड–80 के अन्तर्गत के बी–42 से 75 एवं के बी–81 से 97 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	959996.00	17.1% निम्न	795837.00	में0 मॉ पिताम्बरा कान्स0	पढ़ा गया।
591	जोन–3 वार्ड–88 के अन्तर्गत हेल्थ सेन्टर की बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	5(3)B	871862.00	आगणन दर	871862.00	मेसर्स बजरंग इन्टरप्राइजेज	पढ़ा गया।

ह०.....महापौर

592	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत ं ब्लाक न0–186 से 190 तक फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	999954.00	17.29% निम्न	827062.00	मेसर्स राजीव कान्स0क0	पढ़ा गया।
593	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत एन. ब्लाक में म0न0 174 से 180 तक सड़क फुटपाथ एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	775246.00	9.99% निम्न	697799.00	मेसर्स राजीव कान्स0क0	पढ़ा गया।
594	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत ई. ब्लाक मे म0न0 128 / 155 से 128 / 164 तक सड़क ं नाली एव फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	825768.00	15.99% निम्न	693727.00	मेसर्स सुधा कान्स0	पढ़ा गया।
595	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत ं साइट न0–2 में ब्लाक न0–19 से म0न0–128 / 408 तक सडक, नाली एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।	5(3)B	999895.00	16.00% निम्न	839912.00	मेसर्स त्रिकूट इन्टरप्रा0	पढ़ा गया।
596	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत साइट नं0–2 मे ब्लाक 1 से 11 तक सर्वीस लेन का सुधार कार्य।	5(3)B	688739.00	18.25% निम्न	563044.00	मेसर्स भदौरिया बिल्डर्स	पढ़ा गया।
597	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत ं तुलसी पार्क का जीर्णोधार एवं मरम्मत का कार्य।	4(7)	608138.00	17.00% निम्न	504754.00	मेसर्स सॉई ट्रेडिंग क0	पढ़ा गया।
598	जोन 03 वार्ड 54 के अन्तर्गत पुराना सेन्टर चौराहे से नया सेन्टर चौराहे तक बी0 एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	944250.00	आगणन दर	944250.00	मेसर्स कैला देवी कान्स0	पढ़ा गया।
599	जोन 03 वार्ड 55 के अन्तर्गत सेवाआश्रम चौराहे से शनिदेव मन्दिर तक सड़क सुधार हेतु विभिन्न सामग्री की आपूर्ति का कार्य। एवं पैच द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	831062.00	आगणन दर	831062.00	मेसर्स भारत इन्टरप्रा0	पढ़ा गया।

<u>नगर आयुक्त महोदय द्वारा अभियन्त्रण खण्ड–3 के अन्तर्गत निम्नान्कित कार्यो के स्वीकृतोपरान्त नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3)के अन्तर्गत माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष **स्वीकृतार्थ प्रस्तुत** है।</u>

ह०.....महापौर

प्र0 सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा दर	निविदा धनांक	ठेकेदार का नाम	निर्णय
600	जोन–3 वार्ड–23 के अन्तर्गत एम0जी0 कालोनी में म0न0–33 एवं जैन प्रोविजन स्टोर के पास सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1475603.00	8.99% निम्न	1342946.00	मेसर्स बजरंग कान्स0	स्वीकृत
601	जोन–3 वार्ड–23 के अन्तर्गत लाल पैलेस के सामने संत रविदास नगर लिंक रोड का एच0एम0पी0 द्वारा सुधार कार्य।	5(3)B	1254201.00	7.99% निम्न	1153990.00	मेसर्स बजरंग कान्स0	स्वीकृत
602	जोन–3 वार्ड 36 के अन्तर्गत बक्तौरी पुरवा गॉव में श्री शीव मोहन यादव के मकान से शीवबरन यादव के मकान तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1497122.00	7.351% निम्न	1387069	मेसर्स स्वाती का0क0	स्वीकृत
603	जोन–3 वार्ड–55 के अन्तर्गत के ब्लाक स्थित मकान नं0 128/486 से 128/429 तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1247535.00	17.07% निम्न	1034579.00	मेसर्स कृष्णा कान्स0क0	स्वीकृत
604	जोन–3 वार्ड–55 के अन्तर्गत मकान नं0 128/507 के ब्लाक से 128/494 तक सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1257572.00	15.78% निम्न	1059127.00	मेसर्स भारत इन्टरप्रा0	स्वीकृत
605	जोन–3 वार्ड–55 के अन्तर्गत म0न0–1322 से म0न0–1326 पूर्व डी0एम0 कानपुर श्री रामसरण श्रीवास्तवा तक सड़क व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1370532.00	16.77% निम्न	1140693.00	मेसर्स कृष्णा बिल्डर्स	स्वीकृत
606	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत सेक्टर सी में बड़ा पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य	5(3)B	1272576.00	7.2% निम्न	1180950.00	श्री बालाजी इन्जी0 वर्कस	स्वीकृत
607	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत सेक्टर बी में बड़ा पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य	4(7)	1198322.00	7.2% निम्न	1120043.00	श्री बालाजी इन्जी0 वर्कस	स्वीकृत
608	जोन–3 वार्ड–80 के अन्तर्गत दर्पण स्टूडियों से एम.ई.23 बसन्त विहार बर्रा–2 तक सडक एवं नाली का सुधार कार्य	5(3)B	1109780.00	15.00% निम्न	943313.00	में0 सुधा कान्स0	स्वीकृत
609	जोन–3 वार्ड–81 के अन्तर्गत म0न0–14 से म0न0–50 तक गली में इन्टरलाकिंग लगानें एवं नाली का सुधार कार्य	5(3)B	1092776.00	15.9% निम्न	919025.00	में0क्षत्रिय कान्स0 क0	स्वीकृत
610	जोन–3 वार्ड–90 के अन्तर्गत जंगलेश्वर पार्क किदवई नगर में बाउन्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	4(7)	1309658.00	2.5% निम्न	1276916.00	मे0 पी0एस0 इन्ट0	स्वीकृत

ह०.....महापौर

611	जोन–3 वार्ड–58 के अन्तर्गत म0न0–237 दीपु शुक्ला से प्रताप सिंह कछवाहा तक नाली इन्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क का सुधार कार्य।	5(3)B	1084091.00	17.59% निम्न	893399.00	मेसर्स सुधा कान्स0	स्वीकृत
612	जोन–3 वार्ड–96 अन्तर्गत मुंशी पुरवा में शहीद पार्क का सुधार कार्य।	5(3)B	1140906.00	9.99% निम्न	1026927.00	में0इण्डिया ट्रेडर्स	स्वीकृत
613	जोन–3 वार्ड 108 के अन्तर्गत विभिन्न गलियों में इन्टरलाकिंग टाइल्स व नाली का सुधार कार्य।	5(3)B	1264783.00	आगणन दर	1264783.00	में0 मून कान्स0	स्वीकृत

श्री जितेन्द्र सचान ने प्रस्ताव संख्या–606 व 607 के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज कराते हुये कहा कि बी–ब्लाक व सी–ब्लाक विश्व बैंक स्थित पार्क का कार्य अभी अधूरा है किन्तु फर्म को भुगतान कर दिया गया है। इस पर मुख्य अभियन्ता द्वारा स्पष्ट करते हुये अवगत कराया गया कि जितना कार्य कराया गया है, उसी का भुगतान किया गया है, मैंने स्वयं निरीक्षण किया था।

नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि शिकायत प्राप्त होने पर मैंने भी प्रश्नगत पार्क का निरीक्षण किया था और टाईल्स खुदवाई थी तथा आश्वासन दिया था कि जाँच के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

सभापति ने कहा कि मा0 पार्षद द्वारा शिकायत पत्र प्राप्त होने पर मैंने अधिकारियों को भेज कर जाँच कराई थी, जिसमें कतिपय कमियां पाई गई थी, एक व्यक्ति विशेष के कहने पर बेंच तुड़वा दी गई थी और रू0 03 हजार के स्थान पर रू0 12000 की नई बेंच कैसे लगाई जायेंगी क्योंकि प्रति बेंच लगभग रू0 9000 का अन्तर आ रहा है, जिसकी भरपाई कहाँ से की जायेगी। जोनल अभियन्ता–03 तत्सम्बन्धी पर अपनी आख्या दे। भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ था कि शिकायत पत्र प्राप्त होने के एक माह पूर्व ही एक पार्क के कार्य का भुगतान हो चुका था। सभापति ने मुख्य अभियन्ता को निर्देश दिया कि उक्त शिकायत की पुनः जाँच करा लें।

श्री अभिषेक गुप्ता एवं श्री संदीप जायसवाल द्वारा बैठक में आपत्ति की गई की प्रस्तुत एजेण्डा में जोन–1 व 5 के कोई भी विकास कार्य के प्रस्ताव सम्मिलित नही है।

सभापति ने कहा कि मा0 पार्षद की आपत्ति जायज है। मुख्य अभियन्ता भविष्य में विकास कार्यो हेतु क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

श्री अभिषेक गुप्ता ने कहा कि जोन–1 में मात्र 04 जे0ई0 है, प्रत्येक जे0ई0 के पास 04–05 वार्ड है। उनके पास राशन वितरण, जनगणना एवं जिला प्रशासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य भी रहते है, जिसकी वजह से क्षेत्रों के विकास कार्य बाधित होते है।

सभापति ने निर्देश दिया कि विकास कार्यो हेतु एक समय सीमा निश्चित कर दी जाये ताकि उपलब्ध धन का सदुपयोग किया जा सके। मुख्य अभियन्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि मा0 पार्षदों को आगे इस प्रकार की आपत्ति उठाने का मौका न मिले, साथ ही अविकसित वार्डो की ओर विशेष ध्यान दिया जाये। सभापति ने यह भी निर्देश दिया कि वर्कआर्डर के अनुरूप कार्य कराया जाये, पूर्व में निर्णय लिया गया था कि विकास कार्यो से सम्बन्धित वर्कआर्डर की कापी क्षेत्र के दो प्रबुद्ध नागरिकों को भी उपलब्ध कराई जाये, जिससे उनके द्वारा भी हो रहे विकास कार्यो पर निगरानी रखी जा सकें।

<u>मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित–जोन–4</u>

ह०.....महापौर

क्रम सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
614	जोन–4 वार्ड 01 के अन्तर्गत पुराना कानपुर में 5/163, 5/167 से 5/95 तक गली का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार कार्य।	नगर निगम निधि	8,42,861.00	7,32,446.00	आगणन दर से 13.10 प्रतिशत निम्न	मे0 एफ0 आर0 इण्टरप्राइजेज	पढ़ा गया।
615	जोन–4 वार्ड 94 के अन्तर्गत शौकत अली पार्क की रंगाई–पुताई, पाथ–वे तथा ग्रिल लगाने का कार्य।	कोयला मन्त्रालय	8,62,272.00	8,18,296.00	आगणन दर से 5.10 प्रतिशत निम्न	मे0 अनन्या कान्सट्रक्शन एण्ड सप्यालर्स	पढ़ा गया।
616	जोन–4 वार्ड–110 के अन्तर्गत 101/9 हामिद हाऊस से 101/27 अकील हाऊस छोटेमियाँ हाता तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार व ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	7,15,705.00	7,15,705.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया।
617	जोन–4 वार्ड 110 के अन्तर्गत 101/289 एवं 101/302 शदाब से सईद नेता एवं सभासद निवास से 102/292 तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार व ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,31,054.00	9,31,054.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया।
618	जोन–4 वार्ड–110 के अन्तर्गत 101/4 फैजल के मकान से कल्लू चाय की दुकान तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार व ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,86,130.00	5,86,130.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया।
619	जोन–4 वार्ड–107 के अन्तर्गत मकान नं0 92/09 से 92/11 होते हुए 92/16 मुशीर कुरेशी तक गली में इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	6,13,059.00	6,13,059.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया।
620	जोन–4 वार्ड–65 के अन्तर्गत मकान नं0 106/61 से 106/901 तक फुटपाथ पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने एवं नाली सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	9,86,145.00	9,07,253.00	आगणन दर से 8.00 प्रतिशत निम्न	मे0 प्रभाकर त्रिपाठी	पढ़ा गया।
621	जोन–4 वार्ड–110 के अन्तर्गत 101/101/310	राज्य वित्त	9,96,912.00	9,96,912.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0	पढ़ा गया।

ह०.....महापौर

	से 101/314 आसिफ हाऊस से जलील के घर तक इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सड़क सुधार व ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	आयोग				बिल्डर्स	
622	जोन–4 वार्ड–110 के अन्तर्गत 101/309, 101/314 नवेद एवं 101/301 वसी पार्षद निवास तक सड़क का इण्टरलाकिंग टाइल्स द्वारा सुधार व ड्रेनेज पाइप डालने का कार्य।	राज्य वित्त आयोग	5,83,011.00	5,83,011.00	आगणन दर पर	मे0 एस0 ए0 बिल्डर्स	पढ़ा गया।
623	जोन–4 वार्ड–76 के अन्तर्गत 11/207 से 11/118 मकबरा सूटरगंज में सीवर लाईन डालने का कार्य।	नगर निगम निधि	5,21,542.00	5,21,542.00	आगणन दर पर	मे0 इकबाल अहमद	पढ़ा गया।

मा0 कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित

	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	निविदा धनांक	दर	ठेकेदार/ फर्म का नाम	निर्णय
624	जोन–4 वार्ड 01 के अन्तर्गत मैगजीन घाट चौराहे से मैगजीन घाट तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	11,68,477.00	10,55,602.00	आगणन दर से 9.66 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत
625	जोन–4 वार्ड 49 के अन्तर्गत विद्या मन्दिर स्कूल के सामने से सुहाग श्रृंगार की दुकान से प्रशासक भवन, बेनाझाबर रोड़ तक सड़क का हाटमिक्स प्लान्ट द्वारा सुधार कार्य।	राज्य वित्त आयोग	14,89,042.00	13,40,287.00	आगणन दर से 9.99 प्रतिशत निम्न	मे0 जगदम्बा इण्टरप्राइजेज	स्वीकृत

मार्ग प्रकाश

प्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन धनांक	फर्म का नाम
626	नगर निगम कार्यकारिणी समिति में मा0 नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार मा0 महापौर, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त तथा विभिन्न अन्य गणमान्य के आदेश पर कानपुर नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में समय–समय पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 350 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	993,650.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
627	नगर निगम कार्यकारिणी समिति में मा0 नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जोन–6 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 350 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	993,650.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन

ह०.....महापौर

628	नगर निगम कार्यकारिणी समिति में मा0 नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जोन–2 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 350 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	993,650.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
629	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्येहारों पर शहर में लगे बन्द मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1692 नग फ्लड लाइट लैम्प 400 वाट क्रय हेतु।	2305002	761,400.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
630	महाशिवरात्रि, होली, अम्बेडकर जयन्ती एवं रामनवमी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्येहारों पर शहर में लगे बन्द मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य हेतु 1692 नग फ्लड लाइट लैम्प 400 वाट क्रय हेतु।	2305002	832,050.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
631	जिलाधिकारी सन्दर्भ लखनऊ कन्ट्रोल रूम से आने वाली जनता की शिकायतों को निस्तारित करने के लिये कानपुर शहर के अन्तर्गत जोन–1 से जोन–6 तक प्रत्येक जोन के लिये 50–50 नग इस प्रकार कुल 300 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	939,252.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
632	नगर निगम कार्यकारिणी समिति में मा0 नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जोन–3 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 350 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	993,650.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
633	नगर निगम कार्यकारिणी समिति में मा0 नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जोन–5 के अन्तर्गत समुचित मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 350 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	993,650.00	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन
634	दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के अवसर पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु शहर में लगे बिन्दुओं के अनुरक्षण कार्य को कराये जाने की अति आवश्यकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुये 1950 नग सोडियम लैम्प 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	569,088.00	मे0 रूचि इण्टरप्राइजेज
635	जोन–6 के अन्तर्गत विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में 227 नग सोडियम फिटिंग 250 वाट क्रय हेतु।	2305002	710700.68	मे0 एम0एम0 सेल्स कारपोरेशन

.... प्रस्ताव संख्या–626 से 635 तक स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री कैलाश पाण्डेय ने अवगत कराया कि मार्गप्रकाश द्वारा 250वॉट की सोडियम लाईट 350 नग का प्रस्ताव दिया गया है, परन्तु कतिपय प्रस्तावों में 260रू0 का अन्तर/बढ़ोत्तरी अंकित है, जबकि क्रय की जाने वाली सामग्री में कोई बदलाव नही है।

इस पर मुख्य अभियन्ता ''मार्गप्रकाश'' द्वारा स्पष्ट किया गया कि जिसमें धनराशि की बढ़ोत्तरी है, वह बल्ब सहित है।

सभापति ने निर्देश दिया कि आपत्ति जायज है, भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों में क्रय की जाने वाली प्रत्येक सामग्री का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये।

प्र0सं0 636– श्रीमती गीता जायसवाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>**प्रस्ताव**</u>

विषयः– जोन–3 कार्यालय मिक्की हाउस में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में।

ह0.....महापौर

आपसे अवगत कराना चाहती हूँ कि जोन–3 नगर निगम कार्यालय में जगह कम होने से यहां पर आने वाले लोगों को वाहन खड़ा करने में असुविधा का सामना कराना पड़ता है कार्यालय गली में होने से लोग अक्सर भटक जाते है व कार्य कराने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। मिक्की हाउस किदवई नगर में नगर निगम कार्यालय बनाने से जोन–3 के सभी वार्डो के निवासियों को सुविधा रहेगी। ज्ञात हो कि मिक्की हाउस हमीरपुर रोड मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। जनहित में जोन–3 कार्यालय मिक्की हाउस में स्थानान्तरित कराने की कृपा करे।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मैंने स्वयं मिक्की हाउस का निरीक्षण किया जिसमें अवकाश के दिनों में छोटे–छोटे बच्चे एवं क्षेत्रीय नागरिक मिक्की हाउस में काफी संख्या में आते है, इसलिये इस पार्क में जोनल कार्यालय बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। जोनल कार्यालय के निर्माण हेतु जोनल अधिकारी/जोनल अभियन्ता निरीक्षण कर अलग से स्थल का चयन कर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करें।

.... निर्णय लिया गया कि जोनल अधिकारी/जोनल अभियन्ता निरीक्षण कर अलग से स्थल का चयन कर प्रस्ताव अगली कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 637– श्रीमती गीता जायसवाल, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– क्रियाघर बनवाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि मेरे वार्ड 55 के अर्न्तगत स्थित क्रियाघर में कमरें व महिलाओं के लिये बाथरूम न होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि हिन्दुओं के लिये बने क्रियाघर में बाथरूम, कमरे व पानी का प्रबन्ध कराने की कृपा करें।

जनहित में इस कार्य का होना अति आवश्यक है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 638– श्रीमती सन्नो कुशवाहा, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– कार्यकारिणी प्रस्ताव– वार्ड कार्यालय हेतु।

ज्ञात कराना है कि मेरे वार्ड नं0 58 बसंत विहार में वार्ड कार्यालय न होने से सफाई कर्मचारियों का सामान आये दिन चोरी हो जाता है। नगर निगम कर्मचारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे वार्ड नं0 58 पुरानी बस्ती (नौबस्ता गॉव) में श्री शिव बालक दुबे (म0न0 132) के समीप ग्राम समाज की भूमि खाली पड़ी है जिस पर भू–माफियाओं की निगाह है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि स्थलीय निरीक्षण कराके वार्ड कार्यालय बनवाने का कष्ट करें। जनहित में इस कार्य का होना अति आवश्यक है।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

ह0.....महापौर

प्र0सं0 639 श्रीमती रीना साहू, पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

मेरे वार्ड 05 चुन्नीगंज कानपुर में संत करोड़ी मल पार्क में धर्मशाला या श्री कैलाश नाथ खटिक पार्क में एक पुराना धर्मशाला बना है उसको तुड़वाकर बनवा दिया जाये जो उसमें धर्मशाला बना है क्षतिग्रस्त हो गया है। कृपया जनहित को देखते हुये मेरे वार्ड में इन दोनो जगही की जांच करवा कर धर्मशाला बनवाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 640– श्रीमती रीना साहू , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

चुन्नीगंज पुलिस चौकी के बगल में नगर निगम की जगह पड़ी है उसमें दुकानें नगर निगम की बन सकती है और उससे नगर निगम को आय प्राप्त हो सकती है। कृपया जांच करवा कर दुकाने बनवाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 641– श्रीअतुल त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

इस पत्र द्वारा विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करते हुये अवगत करा रहा हूँ कि कानपुर महानगर में नगर निगम के फुटपाथों, सड़क एवं रिक्त पड़ी भूमि पर कानपुर महानगर के शराब माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर देशी एवं अग्रेजी शराब के ठेके खोल रखे है और उससे रोज करोड़ो का कारोबार कर रहे है, कहीं कहीं पर उपरोक्त ठेकों पर अवैध रूप से साइकिल स्टैण्ड भी चल रहे है जिससे नगर निगम को लाखों रूपये का चूना लगा रहा है। नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये ठेकों की बानगी लाल इमली के सामने, कोपरगंज खलवा, अफीम कोठी चौराहा के पास पेट्रोल पम्प के बाहर, रावतपुर , पनकी पड़ाव इत्यादि स्थानों पर किसी भी समय देखा जा सकता है। शराब माफियाओं ने उपरोक्त स्थानों पर अवैध रूप से कैण्टीन खोलकर शराब पिलाने का भी कारोबार चला रखा है।

मेरा आपसे आग्रह है कि पूरे कानपुर महानगर में अवैध रूप से नगर निगम की जगह पर अतिक्रमण कर बनाये गये ठेकों एवं कैण्टीनों को चिन्हित कराकर अतिक्रमण हटाने एवं शराब माफिया से यूजर चार्ज वसूल करने का आदेश करने की कृपा करें उपरोक्त कदम निश्चित रूप से जनहित एवं नगर निगम के हित में होगा।

उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान श्री जितेन्द्र सचान, श्री आलोक दुबे एवं श्रीमती उत्तम दुबे द्वारा कहा गया कि पूर्व कार्यकारिणी एवं सदन की बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अभी तक अवगत नही कराया गया है।

सभापति ने कहा कि कार्यकारिणी में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समितियाँ गठित कर दी जाये क्योंकि अधिकारियों का अचानक स्थानान्तरण हो जाने के कारण पूर्व में लिये गये निर्णयों का अनुपालन लम्बित हो जाता है, ऐसी स्थिति में समितियाँ लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही से कार्यकारणी समिति को अवगत कराती

ह०.....महापौर

रहेंगी। सभापति ने नगर आयुक्त से कहा कि पूर्व में कार्यकारिणी द्वारा शहर में स्थित महापुरूषों की मूर्तियों के ऊपर छतरी निर्माण का निर्णय लिया गया था, जिस पर आपके पूर्वाधिकारी द्वारा टेण्डर आदि की कार्यवाही तत्समय की गई थी, उसके बाद से अब तक क्या कार्यवाही की गई, स्पष्ट नही है। सभापति ने स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति मोतीझील स्थित कारगिल पार्क में स्थापति किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से अगली कार्यकारिणी की बैठक में अवगत कराया जाये। नगर निगम के बहुत से पार्को में अवैध रूप से मन्दिर व अन्य पूजा स्थल क्षेत्रीय लोगों द्वारा बना रखे गये है, जिन्हें नगर निगम द्वारा अपने स्वामित्व में लिये जाने का प्रस्ताव भी पूर्व में स्वीकृत हुआ था, परन्तु इस पर की गई कार्यवाही/प्रगति से अवगत नही कराया गया। इससे स्पष्ट है कि पार्षदों द्वारा उठाई गई आपत्ति जायज है। पूर्व में कार्यकारिणी/सदन में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अवगत करायें कि उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और जिन पर कार्यवाही नही की गई है, उन पर आगे क्या कार्यवाही की जायेगी। शासनादेश/नियमों के अन्तर्गत किसी भी धार्मिक स्थल/विद्यालय के आस–पास शराब के ठेके का लाइसेंस नही दिया जा सकता, परन्तु लाइसेंस प्राप्त करने वाले जिला प्रशासन से सांठ–गांठ कर लाइसेंस प्राप्त कर लेते है, जो आपत्तिजनक है। जिससे सामाजिक बुराई समाप्त नही हो सकती, वातावरण खराब होता है, किसी भी मन्दिर अथवा धार्मिक स्थल व विद्यालय से कम से कम 200मी0 के दूरी के बाद ही इस प्रकार के लाइसेंस दिये जाने चाहिये, जिसका उल्लंघन हो रहा है। नगर निगम के स्वामित्व वाले स्थल पर लाइसेंस कैसे दिया गया है, ऐसे स्थलों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाये कि नगर निगम की सम्पत्ति/भूमि पर किसकी संस्तुति पर लाइसेंस निर्गत किया गया है।

नगर आयुक्त ने समस्त विभागाध्यक्षों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये निर्देशित किया कि नगर निगम के फुटपाथ, सड़क एवं रिक्त पड़ी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके देशी/अंग्रेजी के शराब ठेके का लाइसेंस प्राप्त किया गया है, उनकों चिन्हित कर एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें।

.... निर्णय लिया गया कि समस्त विभागाध्यक्ष नगर निगम के फुटपाथ, सड़क एवं रिक्त पड़ी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके देशी/अंग्रेजी के शराब ठेके का लाइसेंस प्राप्त किया गया है, उनकों चिन्हित कर एक सप्ताह के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 642– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

आपको अवगत कराना है कि पूरे शहर में लगभग 15-20 वर्ष पूर्व नगर निगम ने दुकानों की जमीन थी, उसमें केवल दुकानें बनाने के लिये जमीन दी गई थी और उसकी छत का स्वामित्व नगर निगम का था लेकिन जहाँ-जहाँ दुकानें बनी है वहाँ पर दुकानदारों ने अवैधानिक रूप से तीन-तीन मंजिल की बिल्डिंग बनवा ली है तथा अन्डर ग्राउण्ड भी बनवा लिया है और फुटपाथ पर भी कब्जा कर लिया है।

मेरा आपसे निवेदन है कि यदि इन दुकानदारों से आज के रेट से जो अवैध निर्माण कराया है उसका पैसा ले लिया जाये तो कई करोंड़ रूपये की नगर निगम की आय हो जायेगी साथ ही पूरे शहर में ऐसी दुकानो की दोबारा पैमाइश कराकर नये सिरे से टैक्स लगाया जाये।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि यह गम्भीर विषय है, नवीन मार्केट का उदाहरण देते हुये कहा कि शायद ही कोई दुकान ऐसी हो जिसमें अन्डर ग्राउण्ड व छत के ऊपर दुकानदारों द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माण न कराया गया हो।

इस पर नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि समस्त जोनल अधिकारी/अभियन्ता सम्पत्ति विभाग से सूची प्राप्त कर अपने-अपने जोन क्षेत्र में निरीक्षण कर लें तथा ऐसे स्थलों को चिन्हित कर सूची प्रस्तुत करें।

ह०.....महापौर

श्री संदीप जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में लगाये जा रहे हैण्डपम्पों एवं किये जा रहे विकास कर्यो में क्षेत्रीय पार्षद का संतुष्टि पत्र न लेने के कारण ठेकेदार द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है और कहीं-कहीं अधूरे कार्य करके ही भुगतान प्राप्त कर लिया जाता है। क्षेत्र में रिबोर कराये गये हैण्डपम्प संतोषजनक कार्य नही कर रहे है, जिसकी शिकायत जलकल विभाग में की गई साथ ही यह भी अवगत कराया कि क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यो के सम्बन्ध में जानकारी नही हो पाती है कि कार्य कब प्रारम्भ हुआ, कब समाप्त हुआ।

महाप्रबन्धक जलकल द्वारा अगवत कराया गया कि नये हैण्डपम्प/रिबोर का कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है, किये गये कार्यो की सूची प्राप्त होने पर क्षेत्रीय पार्षद को सूचना प्रेषित की जाती है तथा क्षेत्रीय पार्षद द्वारा हैण्डपम्प के सम्बन्ध में जो शिकायती पत्र प्राप्त होता है, उसमें जलकल विभाग द्वारा लैटर लगाकर जल निगम को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

सभापति ने कहा कि मा० पार्षद द्वारा उठाई गई आपत्ति जायज लग रही है।

.... निर्णय लिया गया कि नये/रिबोर हैण्डपम्प के कार्य एवं नगर निगम द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यो की संतुष्टि का पत्र क्षेत्रीय पार्षद व प्रबुद्ध नागरिकों (कम से कम 05 नागरिक) से संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।

प्र0सं0 643– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

आपको अवगत कराना है कि सीसामऊ बाजार में नगर निगम की जो जमीन पड़ी है उस पर अराजक तत्वों ने अवैध रूप से पक्की दुकानें बनवा कर उसकी पगड़ी खुद लेकर उन्हें किराये पर उठा रखा है, जिसका किराया भी वही लोग ले रहे है। जिससे नगर निगम के राजस्व की हानि हो रही है।

2- नगर निगम ने इन्दिरा मार्केट बनावकर वहाँ दुकानें किराये पर दी थी, जिसका किराया वर्तमान में बहुत कम है, उसका किराया बढ़ाया जाये, जिससे नगर निगम की आय बढ़ेगी तथा मार्केट का जीना जिस पर अवैध रूप से कब्जा है, उस कब्जे को हटवाया जाये। मेरा सुझाव है कि इस मार्केट की दुकानों के ऊपर दुकानों का निर्माण कराया जाये।

3- नगर निगम ने बहुत पहले सीसामऊ मार्केट के बाहर एक मार्केट बनवायी थी तथा उसके ऊपर रिफ्यूजियों के रहने के लिये मकान बनवा कर दिये गये थे, लेकिन उन लोगों ने उक्त मकान दूसरों को बेच दिये जिन्होंने ने अवैध रूप से तीन-तीन मंजिल के भवन बनवा लिये है तथा उसकी गैलरी पर भी अवैध रूप से कब्जा करके उसे बन्द कर दिया है। इसी जाँच कराकर अवैध कब्जा हटवाया जाये तथा इनका किराया बढ़ाया जाये।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... निर्णय लिया गया कि जाँच कराकर अगली कार्यकारिणी के पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

प्र0सं0 644– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

आपको अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर के शहर में बहुत बड़े-बड़े पार्क है, जिनमें शादी, धार्मिक सम्मेलन आदि का आयोजन होता रहता है। उक्त पार्को में जो टेन्ट लगाये जाते है, उसमें नगर निगम में सिर्फ एक दिन का पैसा जमा किया जाता है, जबकि टेन्ट एक-एक सप्ताह तक अवैधानिक रूप से लगे रहते है, जिससे नगर निगम राजस्व की हानि होती है तथा उसका लाभ टेन्ट वाले उठा रहे है।

ह०.....महापौर

उक्त पार्कों का जो किराया नगर निगम द्वारा लिया जा रहा है, वह बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि धार्मिक कार्यक्रमों को छोड़कर उक्त पार्कों के किराये में बढ़ोत्तरी की जाये तथा पार्कों के बाहर यह सूचना पट्ट भी लगवायें जाये कि नगर निगम की बिना परमीशन के टेन्ट लगाना शादी-विवाह आदि करना दण्डनीय अपराध है तथा ऐसा करने वाले से जुर्माना भी वसूला जाये।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... विकसित पार्क को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवंटित न किया जाये। अविकसित पार्क का आवंटन जोनल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

प्र0सं0 645– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

आपको अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर द्वारा अभी कुछ समय पूर्व ही कमला नेहरू पार्क के बगल में व प्रेम नगर स्कूल दुकानों के ऊपर धर्मशाले बनवाये गये है। उक्त धर्मशाले का किराया अधिक है, जिसके कारण क्षेत्र की गरीब जनता को इसका लाभ नही मिल रहा है जबकि इन धर्मशालों का निर्माण क्षेत्र की गरीब जनता के लिये कराया गया है।

क्षेत्र की गरीब जनता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त धर्मशाले का किराया 5100/- रूपये, बिजली का 1000/- रूपये व सफाई का 1000/- रूपया होना चाहिये। जिससे क्षेत्र की गरीब जनता नगर निगम द्वारा बनवाये गये धर्मशाले का लाभ ले सके। गरीब जनता से केवल उतना ही किराया लिया जाये जिससे इस धर्मशाले का रख-रखाव एवं देख-रेख ठीक ढंग से होती रहे।

इन धर्मशालों में टेन्ट वाले बहुत अधिक पैसा लेते है और गरीब जनता का खून चूसते है, जिससे उनको अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि यदि उक्त धर्मशाले में टेन्ट आदि शादी विवाह का सामान देने हेतु शनि साँई मन्दिर समिति को दे दिया जाये तो वह उक्त सामान धमार्थ कुछ पैसे लेकर देगी तथा सफाई भी करायेगी तथा सफाई हेतु जो पैसा नगर निगम लेगी वह समिति को दिया जाये। धर्मशाले की बुकिंग जोनल कार्यालय से होनी चाहिये जैसे पहले होती रही है, क्योंकि सम्पत्ति विभाग से केवल पार्क की बुकिंग होनी चाहिये।

महोदय यह भी अवगत कराना है कि विष्णुपुरी स्थित दीप चन्द्र पार्क धर्मशाले की बुकिंग में मात्र 1000/- रूपये लिये जाते है तथा उसी में पार्क भी आवंटित किया जाता है। अतः तदानुसार उक्त धर्मशालों के आवंटन की धनराशि को गरीब जनता के हित के लिये कम किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... निर्णय लिया गया कि धर्मशाले का किराया रू0 5100/– के स्थान पर रू0 2500/– किया गया।

प्र0सं0 646– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

आपका कानपुर नगर निगम की चुंगी चौकियों पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चुंगी चौकियों पर लोग अवैधानिक रूप से कब्जा करके रह रहे है और अपना व्यवसाय कर रहे है। यदि उक्त चुंगी चौकियों को खाली करवाकर दुकानें आदि बनवा दी जाये तो इससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी।

जरीब चौकी पर नगर निगम की जमीन लगभग ४०० वर्ग गज पड़ी हुई है। उस पर लोगों ने अवैधानिक रूप से टीनशेड डालकर होटल चला रहे है। उक्त जमीन का नगर निगम रू० १०००६. शालाना लेती है।

उक्त सन्दर्भित पर मेरा सुझाव है कि यदि उक्त स्थल पर मल्टी स्टोरी मार्केट बनवा दी जाये तो इससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि जरीब चौकी पर नगर निगम की जमीन जो लगभग ४०० वर्ग गज है, पर अवैध रूप से चल रहे होटल का निरीक्षण कर लिया जाये तथा यह भी जानकारी प्राप्त की जाये कि उसके द्वारा नगर निगम को क्या धनराशि दी जाती है तदोपरान्त संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 647– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

नगर निगम कारगिल पार्क मोतीझील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कारगिल पार्क की झील को साफ करवा कर उसमें नावें चलाने, अच्छे-अच्छे फूलों वाले पौधे लगाकर पार्क को और अधिक सुन्दर बनाने, बच्चों के झूलने हेतु अच्छे-अच्छे झूले लगवा दिये जाये तो पार्क का स्वरूप और भी अच्छा हो जायेगा। उक्त पार्क में घूमने आने वाले नागरिकों के खाने हेतु पार्क के अन्दर एक रेस्टोरेन्ट बनवा दिया जाये, जिससे नगर निगम की आय में काफी वृद्धि होगी। पार्क के अन्दर बना सुलभ शौचालय काफी समय से बन्द है जिसके कारण पार्क के अन्दर घूमने आने वाले नागरिकों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इसे दृष्टिगत रखते हुये उक्त शौचालय को शीघ्र ठीक करवाया जाये और बरसात से बचने के लिये पार्क के अन्दर बैठने हेतु बनी बेंचो के ऊपर शेड का निर्माण कराया जाये।

यदि उपरोक्त सभी व्यवस्थायें नगर निगम द्वारा करा दी जाये तो पार्क का स्वरूप अत्यधिक सुन्दर होने के साथ-साथ इसमें घूमने आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे नगर निगम की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 648– श्री महेन्द्र शुक्ला , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

सादर अवगत कराना है कि आपके मौखिक निर्देशो के कम में मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता ने प्रेम नगर स्थित नगर निगम मार्केट के ऊपर एक हॉल, बरामदा, आफिस के निर्माण हेतु निरीक्षण किया था, जिसमें लगभग रू0 25 लाख का व्यय होगा। हॉल का निर्माण हो जाने से वह धर्मशाले के प्रयोग में आ जायेगा तथा कमरे बन जायेगा तो उसमें धर्मशालें का आफिस बनने के साथ साथ वार्ड की वसूली हेतु आफिस भी बन सकता है जिससे क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक सुविधा होगी।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उक्त कार्य कराने हेतु प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनार्थ/स्वीकृताथ प्रेषित है।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

ह०.....महापौर

प्र0सं0 649– **श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विषयः– बजरिया नगर निगम मार्केट को शासन की मंशा अनुसार पी0पी0पी0 मॉडल पर बनवाने हेतु।

मैने जर्जर होने के कारण खतरनाक स्थिति में बजरिया नगर निगम मार्केट के पहुॅच जाने के कारण दिनांक 25.06.13 को पत्र दिया था कि इसे जनहानि के पूर्व ही गिरा कर पुनः मार्केट बनवा दी जाये, जिससे नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और लोगो को रोजगार के अवसर भी मिलेगें। यदि नगर निगम की स्थिति इस खर्च को वहन करने की स्थिति में न हो तो शासन द्वारा की गई धोषणा अथवा मंशा को ध्यान में रखते हुये इसे पी0पी0पी0 माडल पर बनवा दिया जाये जिससे नगर निगम की भूमि सुरक्षित रहेगी नगर निगम की आय भी बढ़ेगी और लोगो को रोजगार के अवसर भी मिलेगें।

अतः उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें ताकि तदानुसार कार्यवाही शासन को अग्रसारित किया जा सके।

प्र0सं0 650– **श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विषयः– वार्ड 41 जोन–4 के अर्न्तगत ब्रजभूषण प्राईमरी स्कूल सीसामऊ के पीछे नगर निगम की खुली भूमि पर वृद्धाश्रम बनाये जाने के सम्बन्ध में।

आज की इस आपाधापी भरी जिन्दगी में यदि किसी का सबसे ज्यादा अहित हुआ है तो वह है हमारे बुजुर्ग, जिन्होने हमे चलना सिखाया , खुद तकलीफे सहकर हमे बेहतर जीवर दिया परन्तु जब उन्हे हमारी जरूरत पड़ी तो हमने उनका साथ उन्हे बोझ समझ कर छोड़ दिया वह भी उनके मरने तक।

अतः अवगत कराना है कि मेरे वार्ड 41 (जोन–4) के अर्न्तगत स्थित ब्रजभूषण प्राईमरी स्कूल के पीछे पड़ी नगर निगम की भूमि पर जिस पर लोगो ने कब्जे करने शुरू भी कर दिये है। इस भूमि पर वृद्धाआश्रम बनवाने की कृपा करे। यदि यह वृद्धाआश्रम नगर निगम द्वारा बना दिया गया तो मै इसे गोद लेकर पूरी जिन्दगी बुजुर्गो की देखभाल मरते दम तक करूॅगा।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर अगली कार्यकारिणी के पूर्व अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 651– **श्री आशुतोष त्रिपाठी , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–**

प्रस्ताव

विषयः– जनहित के कार्यो को शिथिलता से बचाने हेतु।

जब लोक सेवक अथवा जन प्रतिनिधि मनोनीत अथा निर्वाचित होता है तो उसे राष्ट्रहित में शपथ दिलवाई जाती है जनहित हेतु। आज दोनो जबाब देही न होने के कारण अपने कर्तव्यो के विमुख होते जा रहे है। जनता से कर हम उसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये लेते है।

नगर निगम में पार्षदों द्वारा जनहित के अति आवश्यक काम बार–बार लोकसेवकों को लिखित अथवा मौखिक रूप से अवगत करवाने पर भी लोक सेवको द्वारा अपने कर्तयों को पूरा न करने के कारण आक्रोषित जनता पार्षदों अथवा अन्य जन सेवकों का अपमान करती है।

अतः कर लेकर जनता का कार्य न करने पर यदि जनता जन प्रतिनिधियों का अपमान करे तो लोकसेवकों पर कर्तव्यों का पालन न करने पर नगर निगम प्रशासन को सम्बन्धित विभाग के मुखिया पर मा0 न्यायालय में वाद दर्ज करवाया जाये ताकि जनता को लूट से बचाया जा सके और जनहित को सर्वोपरि मान लोकतन्त्र की रक्षा सम्भव हो सकें।

ह०.....महापौर

नगर आयुक्त ने कहा कि कंट्रोल रूम को और अधिक प्रभावी बनायेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को चिन्तन करने की आवश्यकता है।

.... निर्णय लिया गया कि 10:00 बजे से 12:00 बजे के मध्य पार्षद नगर आयुक्त से मिलकर क्षेत्रीय समस्यायें निस्तारित करायेंगे तत्पश्चात् कन्ट्रोल रूम में समस्यायें अंकित करायेंगे। कंट्रोल रूम में अंकित समस्या के निस्तारण की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी ।

प्र0सं0 652– श्रीमती सरोजनी यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– जोन–5 वार्ड 62 में स्व0 चौ0 राम गोपाल चौराहे के पास गीन बेल्ट से जुड़ी हुई खाली पड़ी जगह पर नगर निगम द्वारा दुकानें बनाये जाने हेतु।

सादर् अवगत कराना है कि हमारे वार्ड के अर्न्तगत स्व0 चौ0 राम गोपाल चौराहे के पास ग्रीन बेल्ट से जुड़ी हुई खाली पड़ी जमीन पर लोग अतिक्रमण कर रहे है जबकि उक्त जमीन कानपुर नगर निगम की है।

अतः श्रीमान् जी उक्त स्थान पर कानपुर नगर निगम द्वारा लगभग 70–80 दुकानें बनायी जा सकती है। जनहित में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा व नगर निगम की आय में वृद्धि होगी तथा कब्जा करी जमीन भी मुक्त हो जायेगी।

.... मुख्य अभियन्ता जोनल अधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण कर ले तथा फेरी नीति के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 653– श्री राकेश साहू , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– वार्ड 72 में जच्चा बच्च अस्पताल के आगे व पीछे पड़ी जमीन पर दुकानें बनाये जाने के सम्बन्ध में।

सदर अवगत कराना है कि वार्ड 72 जच्चा–बच्चा अस्पताल के सामने व पीछे जमीन पर लोगों ने कब्जा कर अपनी दुकाने बना ली है उन्हे कई बार अतिक्रमण अभियांन में हटाया जा चुका है लेकिन कुछ दिनो के बाद फिर कब्जा कर लेते है।

अतः आपसे निवेदन है कि जच्चा–बच्चा अस्पताल दर्शनपुरवा के सामने व पीछे पड़ी जमीन पर दुकाने बना कर नगर निगम जमीन की सुरक्षा व नगर निगम की आय बढेगी और अतिक्रमण करने वाले लोगों से राहत व जमीन को बचाया जा सके।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण/सर्वे कर आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 654– श्री राकेश साहू , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– डाक्टरों एवं पैथालाजी लैब की आपसी सांठ–गांठ से हो रही मरीजो की लूट के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि उक्टरों एवं पैथलाजी लैब की आपसी सांठ–गांठ से मरीजो को लूटने का कारोबार फल फूल रहा है जिस कारण गरीब आम जनता काफी प्रताड़ित महसूस कर रही है उक्टर मरीजो को इलाज के नाम पर अपनी पसन्द की विशेष पैथालाजी लैब जॉच हेतु नाजायद दबाब बना कर भेजते है और 50 प्रतिशत तक कमीशन खाते है जिससे गरीब पर इलाज का अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है जो कि कभी कभी जान लेवा भी साबित होता है।

अतः आपसे निवेदन है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करे जिसमें प्रत्येक डाक्टर, नर्सिंग होम, चिकित्सालय अपने यहां एक बोर्ड लगाये जिसमें यह सूचना लिखी हो कि मरीज स्वैच्छा से अपनी पसन्द की पैथालाजी लैब से जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त करने को स्वतंत्र है ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट जो मान्यता प्राप्त लैब द्वारा तैयार की गई हो

ह०.....महापौर

स्वीकार कर जी जायेगी जो पैथालाजी मानक के अनुरूप कार्य न कर रही हो उसे तत्काल बन्द करा दे इसके लिये मेडिकल एसोशियेसन एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आवरूश्यक कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सभापति ने निर्देश दिया कि मा0 पार्षद की भावनाओं से आई0एम0ए0 के अध्यक्ष को अवगत कराया जाये।

प्र0सं0 655– श्री राकेश साहू , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 09 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

विषयः– चौराहो पर टैम्पो वालो की अराजकता के सम्बन्ध में।

सादर अवगत कराना है कि जिस रोड पर टैम्पो चलते है उस रोड के चौराहो पर चारो कोनो पर कई कई टैम्पो खड़े कर के सवारियां टैम्पो में बैठाते है जिससे रोड पर जाम की स्थित व ट्राफिक धीमे धीमे चलता है जिससे लोगो को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है कई चौराहे पर टैम्पो स्टैण्ड बना हुआ है।

अतः आपसे निवेदन है कि जिस जिस रोड पर टैम्पो चलते है उस रोड के चौराहे पर टैम्पो खड़े कर सवारियां भरने पर रोक लगा कर जनहित में चौराहे से 50 मीटर दूर स्टैण्ड बनाकर वहां से सवारियां भरने का आदेश देने की कृपा करे जिससे लोगो को रोड पर चलने में राहत मिल सके टैम्पो वालों की अराजकता पर रोक लगाई जा सके।

.... एस0पी0 ट्रैफिक, आर0टी0ओ0 तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सम्बन्धित थाना को पत्र प्रेषित कर कार्यवाही कराई जाये।

प्र0सं0 656– श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' , पार्षद/उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

प्रस्ताव

निवेदन है कि यह शिक्षिकायें नगर निगम द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विगत 10 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत है। महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इन शिक्षिकाओं की निपयुक्ति पुनः विज्ञापन व चयन प्रकिया के माध्यम से साक्षत्कार द्वारा अंशकालिक शिक्षिका के रूप में की गई ह। जहां एक ओर नियमित शिक्षिकाओं को छठे वेतन का लाभ दिया जा रहा है, वही यह शिक्षिकायें 6000/– व 7000/– प्रतिमाह पर कार्यरत है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मंहगाई को ध्यान में रखते हुये इन शिक्षिकाओं के वेतन में वृद्धि कर रूपये दस हजार प्रतिमाह का भुगतान करने की कृपा करे ताकि यह स्वच्छ मानसिकता के साथ अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से कर सकें।

ह०.....महापौर

नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि यह वित्तीय मामला है, इसलिये प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाये।

.... निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में शासन को पत्र भेजा जाय।

प्र0सं0 657– श्री महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' , पार्षद/उप सभापति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

निवेदन करते हुये सादर अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम सीमा के अर्न्तगत ११० वार्डो में नगर निगम निधि, अवस्थापना निधि एवं राज्य वित्त आयोग आदि से जो भी विकास कार्य कराये जा रहे हो उक्त समस्त विकास कार्यो में माननीय महापौर जी का नाम, क्षेत्रीय पार्षद एवं नगर निगम के अधिकारियों का नाम शिला लेख पर होना चाहियें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को कार्यकारिणी के समक्ष प्रेषित करने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

.... निर्णय लिया गया कि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो में महापौर के साथ क्षेत्रीय विधायक, सांसद व क्षेत्रीय पार्षद, नगर आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता का नाम अंकित किया जाये। तथा नगर निगम निधि, राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये जाने वाले विकास कार्यो में महापौर के साथ क्षेत्रीय पार्षद, नगर आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता का नाम अंकित किया जाय साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पत्थर पर पद के अनुरूप नाम, पदनाम अंकित हो।

मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम द्वारा नाले का निर्माण कराया गया है, जो एक वार्ड से दूसरे वार्ड तक जाता है, उस निर्माण कार्य के पत्थर पर किस–किस का नाम अंकित किया जाये।

.... निर्णय लिया गया कि नाला प्रारम्भ से अन्त तक जिस–जिस वार्ड से जाता है, वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद का नाम अंकित किया जाये।

प्र0सं0 658– श्रीमती सरोजनी यादव' , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि बर्रा–8 में एफ–1 से एफ–203 तक सडक सुधार कार्य हेतु पत्रावली 16,47,930.00 रूपये की बनी थी , जो कि कार्यकारिणी में स्वीकृति हेतु लगभग पिछले 6 माह से रूकी हुई है। क्षेत्र में उक्त सड़क स्थल पर वर्तमान में जल भराव भी है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि पत्रावली को कार्यकारिणी में स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करे जो कि जनहित में अति आवश्यक है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 659– श्री आलोक दुबे , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 11 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

विषय:– कानपुर शहर के चौराहों पर चल रहे अवैध टैम्पों स्टैण्डों की वसूली रोकने के लिये चौराहों पर पार्किग काउण्टर खोलकर पार्किग वसूली के संन्दर्भ

ह०.....महापौर

में।

अवगत कराना है कि शहर के सभी प्रमुख चौराहो पर अवैध रूप से टैम्पों स्टैण्ड चल रहे है वहां अराजक तत्व इनके साथ गाली गलौज बकते हुये नजर आते है जिससे वहां भय का माहौल व्याप्त होता है और टैम्पो स्टैण्डो की वसूली अपंजीकृत लोगों व फर्मो द्वारा होने के कारण अवैध वसूली पर रोक लगाना जनहित में नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है क्योकिं शहर में पार्किग की व्यवस्था व पार्किग शुल्क की वसूली का कार्य नगर निगम के द्वारा होता है। अतः पार्किग शुल्क की अवैध वसूली बन्द कराके प्रत्येक चौराहों पर टैम्पो स्टैण्ड के लिये पार्किग काउन्टर खुलवा कर पार्किग शुल्क वसूल किया जाना आवश्यक है जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि होगी तथा चौराहों का सुन्दरीकरण होगा और भय का माहौल भी समाप्त होगा।

.... जोनल अधिकारी अवैध रूप से चल रहे पार्किंग/साईकिल स्टैण्डों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 660– श्री आलोक दुबे , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– कानपुर शहर की सीमा के अर्न्तगत चलने वाले बैक्ट्री चलित रिक्शो का नगर निगम द्वारा व्यवसायिक पंजीकरण व किराये का निर्धारण प्रति किलोमीटर के आधार पर।

अवगत कराना है कि कानपुर नगर परिक्षेत्र में विगत वर्ष से बिना पंजीकरण के बैट्री चलित रिक्शो का संचालन किया जा रहा है जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था वाधित हो रही है तथा पंजीकरण न होने के कारण वास्तविक रिक्शा मालिक के बारे में जानकारी उपलब्ध नही हो पाती है।

अतः नगर निगम द्वारा पंजीकरण नितान्त आवश्यक है चुॅकि यह रिक्शे नगर के परिक्षेत्र में चल रहे है व सवारियों से मनमाने किराये को वसूल रहे है जिस पर अंकुश जनहित में आवश्यक है। जनहित में यथा शीध्र बैट्री चलित रिक्शो का पंजीकरण प्रति कि0मी0 के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रति व्यक्ति किराये का निर्धारण एवं रिक्शे में सवारियों की संख्या का निर्धारण करवाने का आदेश पारित करें।

नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त के सम्बन्ध में दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन का प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर निर्णय आने के उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

.... निर्णय लिया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के उपरान्त तदानुसार कार्यवाही कराई जाय।

प्र0सं0 661– श्री राज किशोर यादव , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एंव 06 पार्षदो द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– नगर निगम द्वारा अपनी भूमि पर दुकानों को बनवाने के सन्दर्भ में।

सादर अवगत कराना है कि हम पार्षद निरन्तर कार्यकारिणी के माध्यम से नगर निगम की आय श्रोत बढ़ाने का प्रयास करते है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे वार्ड में 1/1 के पास से एच0बी0टी0आई0गेट तक नगर निगम की जमीन है जिसमें पूर्व में नगर निगम द्वारा लोहे के पाइप लगा कर दुकानों की व्यवस्था की थी परन्तु मौजूदा परिस्थिति मे कुछ अराजक तत्वों द्वारा अवैद्य कब्जा करके वसूली की जा रही है तथा एक पक्की दुकान का भी निर्माण अवैद्य रूप से लोगों ने कर लिया है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करके नगर निगम की आय श्रोत बढ़ाने का कार्य किया जायें।

.... जोनल अधिकारी जोन–6 निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करें।

प्र0सं0 662– श्री कौशल कुमार मिश्र , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– स्थल परिवर्तन के सम्बन्ध में।

सादर अवगत करवाना है कि जोन–6 वार्ड 46 विनायकपुर के अर्न्तगत आ0वि0यो0सं0 1 के अर्न्तग्त कैलाश विहार में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से एम0आई00जी0 212 पुष्पॉजली तक नाली एवं सड़क सुधार कार्य स्वीकृत मा0 नगर निगम सदन की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.07.14 के अनर्तग्त प्रदान की गई है जिसकी फाइल स्वीकृति संख्या 293/अ0अ0अ–6/13–14 है, उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग की निविदा राज्य वित्त आयोग के अर्न्तगत पूर्ण हो चुकी है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उपरोक्त स्वीकृत मार्ग के स्थान पर अग्रिहोत्री शिक्षा निकेतन के सामने पानी की टंकीसे एम0आई0जी0 एच–81 फोरलेन तक नाली एवं सड़क सुधार का कार्य कराये जाने की कृपा करें।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 663– श्री जितेन्द्र कुमार सचान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः– जोन–3 वार्ड 80 बर्रा के अन्तर्गत स्थित बर्रा–2 डबल रोड से एम0आई0जी0–53 तक सड़क फुटपाथ नाली का सुधार कार्य।

परिवर्तित स्थल

विषयः– जोन–3 वार्ड 80 बर्रा के अन्तर्गत सेक्टर–ए बड़े पार्क के चारो तरफ नाली , सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।

जोन–03 वार्ड 80 विश्व बैंक बर्रा के अन्तर्गत 93 कार्यो में से क्रमांक 47 का कार्य अवस्थापना निधि द्वारा स्वीकृति किया जा चुका है उसी अवशेष धनराशि से परिवर्तित स्थल '' **सेक्टर–ए**'' बड़े पार्क के चारों तरफ नाली सड़क एवं फुटपाथ का सुधार जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 664– श्री जितेन्द्र कुमार सचान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

ह0.....महापौर

विषयः– जोन–3 वार्ड 80 बर्रा–2 सेक्टर –4 एम0आई0जी0 01 से एम0आई0जी0–28 तक सड़क एवं नाली का सुधार कार्य।

परिवर्तित स्थल

विषयः– जोन–3 वार्ड 80 बर्रा के अन्तर्गत सेक्टर–सी बड़े पार्क के चारो तरफ नाली , सड़क एवं फुटपाथ का सुधार कार्य।

जोन–03 वार्ड 80 विश्व बैंक बर्रा के अन्तर्गत 93 कार्यो में से क्रमांक 50 का कार्य अवस्थापना निधि द्वारा स्वीकृति किया जा चुका है उसी अवशेष धनराशि से परिवर्तित स्थल '' **सेक्टर–सी** बड़े पार्क के चारों तरफ नाली सड़क एवं फुटपाथ का सुधार जनहित में कराया जाना आवश्यक है।

कृपया उपरोक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 665– श्री कैलाश नाथ पाण्डेय , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे कानपुर महानगर के मार्गो एवं गलियों की सड़को के नीचे सीवर चैम्बरों के ढक्कन दबे हुये है, जिसके कारण जब सीवर भराव की स्थित में चैम्बर खोलने की आवश्यकता पड़ती है तो चैंम्बर के ढक्कन का पता न चल पाने के कारण कर्मचारियों द्वारा कई जगह गड्ढे खोद दिये जाते है जिसकी वजह से कुछ समय बाद सड़क खराब हो जाती है।

अतःमेरा सुझाव है कि यदि प्रत्येक जोन के लिय एक-एक चैम्बर ढक्कन ढूढने वाली मैगनेटिक मशीन खरीद ली जाये तो उक्त समस्या का समाधान हो सकता है।

उक्त प्रस्ताव मा० कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में श्री कैलाश पाण्डेय एवं अन्य द्वारा ध्यानाकर्षित किया गया कि सड़क निर्माण के समय मेनहोल के ढक्कन नीचे दब जाते हे, जिसके कारण सीवर जाम होने पर ढक्कन खोजने में कई स्थानों पर सड़क खोदी जाती है, जिससे नवनिर्मित सड़क क्षतिग्रस्त होती है।

महाप्रबन्धक जलकल द्वारा अवगत कराया गया कि जिस संस्था द्वारा सड़क का निर्माण कराया जाता है उसका दायित्व है कि मेनहोल के ढक्कन को ऊँचा करते हुये सड़क निर्माण कराया जाये।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 666– श्रीमती आशा सिंह चौहान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करनाः–

<u>प्रस्ताव</u>

विषयः- स्वीकृत की गई सड़क का स्थान परिवर्तन कराने के सम्बन्ध मे।

सम्मानपूर्वक उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि जोन-३ वार्ड ८१ के अन्र्तगत सेक्टर आई-ब्लाक पुलिया से एच-ब्लाक तिराहे तक की मुख्य सड़क का हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा एवं साइट पटरी का इंटरलाकिंग टाइल्स द्वारा तथा नाली सुधार का कार्य नगर निगम से यराज्य वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत हुआ हैं जबकि उपरोक्त सड़क अवस्थापना निधि से आवास विकास परषिद द्वारा बनाई जा चुकी है।

ह०.....महापौर

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त सड़क का स्थान परिवर्तन कराते हुये सेक्टर आई सैनिक स्कूल से लेकर सेक्टर आई सम्पवेल तक की सड़क बनवाने की कृपा करें।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0 667– श्रीमती आशा सिंह चौहान , पार्षद द्वारा प्रस्तुत एवं श्री महेन्द्र पाण्डेय, उप सभापति द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो मा0 महापौर जी द्वारा पृष्ठांकित है, पर विचार करना:–

प्रस्ताव

निवेदन है कि वार्ड ८१ जरौली में आई ब्लाक में बारातशाला का निर्माण होना है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

.... मुख्य अभियन्ता निरीक्षण कर प्रस्ताव उचित पाये जाने पर कार्यवाही कराये।

प्र0सं0 668–नगर आयुक्त के पत्र संख्याः डी/272/न.आ./अ0अ0–3 दिनांक 08.07.13 जो माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित हैं।

:–प्रस्ताव–

जोन–3 वार्ड 80 के अर्न्तगत म0न0 बी–790 से बी–48 तक की सड़क का नाकरण '' स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल मार्ग'' के नाम से नामकरण करने हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 21.03.13 के द्वारा प्रस्ताव संख्या 101 के द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षण कराकरक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल सदैव समाज सेवा में व्यस्त रहते थे। उक्त सड़क का नामकरण मा0 कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के उपरान्त '' स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल मार्ग किया जा सकता है।

अतः प्रश्नगत सड़क के नामकरण की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रेषित है।

सभापति ने कहा कि नामकरण समिति की संस्तुति आ चुकी है, जिसको स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा।

.... वार्ड 80 के अर्न्तगत म0न0 बी–790 से बी–48 तक की सड़क का नाकरण '' स्व0 पं0 रामकृष्ण शुक्ल मार्ग'' के नाम से किये जाने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई।

प्रस्ताव सम्पत्ति विभाग

ह०.....महापौर

प्र0सं0–669 **प्रस्ताव**

विषयः– <u>माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका 36666/2013 में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.12.2013 के सम्बन्ध में।</u>

माननीय नगर निगम (सदन) की दिनांक 16.02.2013 को सम्पन्न हुई बैठक में नगर निगम की किराये पर दी गई सम्पत्तियों के किराये में वृद्धि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित वर्तमान किराये की दरों का 50 प्रतिशत करते हुए निर्धारण की स्वीकृति माननीय सदन द्वारा दी गई, उक्त के क्रम में नगर आयुक्त महोदय के आदेश संख्या 3337/के–1/12–13/क (कार्मिक विभाग) दिनांक 22.02.2013 के अनुपालन में किराये पर अवंटित दुकानों के अवंटियों को नोटिस दी गई थी, जिसके विरूद्ध कुछ सम्पत्तियों के आवंटियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये है।

" In the totality of the circumstances on record, we dispose of these writ petitions with a direction to the Munciple Commissioner to examine the grievance of the petitioners in the matter of enhancement of the rent and to decide the same by means of a reasoned and speaking order, preferably within a period of two months from the date a certified copy of this order is filled by the petitioners. If required he may place the matter again before the Executive Committee of the Nagar Nigam.

We make it clear that till the decision of the representation by the Nagar Ayukta/Executive Committee, the petitioners shall continue to pay the rent as fixed by the Nagar Nigam. Such deposit shall be subject to the order to be passed by the Nagar Ayukta as aforesaid."

नगर निगम संम्पत्तियों के किराया वृद्धि विषयक शासनादेश क्रमांक 3366(2)–जे/11–न0पा0–4– 1ए(4) /77 दिनांक 01 सितम्बर 1977 के बिन्दु 2 में अग्रलिखित उपबन्ध किया गया था '' महापालिका के आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के नये आवंटन उनके वर्तमान किराये में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाये और 5 वर्ष बाद किराये में साढे वारह प्रतिशत की बढोत्तरी की जाय। उदाहरण के तौर पर यदि महापालिका के किसी भवन का वर्तमान किराया 100/– रूपया प्रतिमाह है और उसे अब नये आवंटी के नाम आवंटित दिया जाना है तो उक्त भवन का किरासया रूपया 150/– प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। 5 वर्ष पश्चात् किराये में साढ़े बारह प्रतिशत की वृद्धि करके उक्त भवन का किराया 150+ 18.75= 168.75 रूपया होगा पुनः 5 वर्ष पश्चात् उक्त भवन का मासिक किराया 168.75 रूपया 21.10 रू0= 188.85 रू होगा।''

पुनः तद्विषयक शासनादेश दिनांक 16.02.2013 को नगर विकास अनुभाग–9 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 के बिन्दु 7 में निम्न व्यवस्था हैः–

'' स्थानीय निकायों ने अपनी दुकानों और भवनों आदि की जो सम्पत्तियाँ किराये पर उठा रखी है, उनके सम्बन्घ में भी यह तथ्य शासन के संज्ञान में आया है कि उनका किराया और पुनरीक्षित नही की गयी है। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी सम्पत्तियों का किराया वर्तमान बाजार दर के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाये, ताकि स्थानीय निकाय ऐसी सम्पत्तियों का भली–भांति रख रखाव करने के साथ– साथ अपनी आय में भी यथोचित वृद्धि कर सकें।''

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटन के साथ निर्धारित किराये की दरों में दिनांक 01 सितम्बर 1977 को जारी शासनादेश क्रमांक 3366(2)–जे/11–न0पा0–4– 1ए(4) /77 के अनुपालन क्रम में प्रत्येक पांच वर्ष में किराये में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की जाती रही हैं। उक्त वृद्धि के अतिरिक्त माननीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 02.09.2009 के प्रस्ताव संख्या 868 के द्वारा किराये में वृद्धि की गई थी जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की दर के लगभग आधे के समतुल्य थी, जिस पर नगर निगम द्वारा वसूली की जाती रही है। पुनः दिनांक 16.02.2013 को नगर विकास अनुभाग–9 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 के अनुपालन क्रम में वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित किराये की दरों को आधार मानते हुए उसका 50 प्रतिशत किराया निर्धारित किया गया,

ह०.....महापौर

जिसके अनुपालन क्रम में वसूली की कार्यवाही आवंटियों से प्रारम्भ की गई, जो नगर निगम आर्थिक हित के अनुकूल एवं शासनादेश दिनांक 16.02.2013 को नगर विकास अनुभाग–9 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 406/नौ–9–1997–95जनरल/96 दिनांक 10 फरवरी 1997 के नियेमानुसार है। जिस पर आवंटियों द्वारा दायर याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश दिये गये है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में किरायेदारो द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु प्रस्ताव विचारार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि शहर में चल रहे गणेश महोत्सव एवं अन्य धार्मिक आयोजन कार्यक्रम स्थलों के आस–पास सफाई एवं कूड़ा उठान की व्यवस्था संतोषजनक नही है।

नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि पुनः दिखवा कर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।

प्र0सं0–670

<u>नगर स्वास्थ्य अधिकारी/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त</u>

आपको अवगत कराना है कि सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1081/9–1–14–466सा/ 2013 नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2014 एवं निदेशक के पत्रांक सांख्यिकी सेल(च)/272 संविदा सफाई कर्मचारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के द्वारा संविदा सफाई कर्मचारियों की देय धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :–

1. नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कार्मिकों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा राशि उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य करायी जायेगी जो पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
2. विन्दु सं0 1 में वर्णित संविदा पुनरीक्षित धनराशि नागर निकाय के उन्हीं संविदा सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य होगी। जिनकी नियुक्ति शासनादेश सं0 4140/ नौ–1–2005–66सा/2001 टी0सी0 दिनांक 26 अगस्त 2005 के प्राविधानों नियमों के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी है।
3. पुनरीक्षित धनराशि के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार को निकाय स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव सम्बन्धित निकाय के वोर्ड/सदन से पारित करने के उपरान्त ही शासन द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
4. उपरोक्त प्रस्तर 3 में उल्लिखित प्रस्ताव निकायों द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक स्थानीय निकाय संकलित प्रस्ताव शासन को तत्काल प्रेषित कर भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
5. शासनादेश सं0 104 म.न.वि./9–1–12–203 सा/10 नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2012 में संविदा सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी संविदा कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिये गये।

ह०.....महापौर

6. नगर निगम कानपुर के स्वास्थ्य विभाग में चयन समिति के माध्यम से 1412 तथा केयर टेकर विभाग में 08 कुल 1420 संविदा सफाई कर्मचारी हैं। चयन प्रक्रिया के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में 752 संविदा सफाई कर्मचारी लगभग 08 सालों से सफाई का कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें भी शासनादेश में वर्णित वेतन वैण्ड एवं ग्रेड पे का लाभ दिये जाने का निर्णय होता है तो निम्नवत व्यय भार आयेगा :—

मूलवेतन —	रू0	5200.00				
ग्रेड पे	—	रू0	1800.00			
			योग	—	रू0	7000.00
मंहगाई भत्ता	—	100 प्रतिशत		—	रू0	7000.00
		कुल योग		—	रू0	14000.00 प्रति कर्मचारी

चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1420 कर्मचारियों पर प्रति माह व्यय भार — 19880000.00 एवं अन्य 752 कर्मचारियों पर व्यय भार 10528000.00 आयेगा कुल व्यय 30408000.00 व्यय प्रतिमाह आयेगा।

अतः उक्त प्रस्ताव माननीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृति उपरान्त सदन को अग्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित है।

कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

.... स्वीकृति प्रदान कर सदन को अग्रसारित किया गया।

प्र0सं0—671

<u>प्रस्ताव</u>

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनिय, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0—2 सन् 1959) की धारा 192, 199 एवं 219 के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन के विचारार्थ निम्न नियमावली का प्रारुप प्रस्तुत है :—

कानपुर नगर निगम (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न विज्ञापन पर कर का निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014)

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1** (1) यह नियमावली कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर निर्धारण व वसूली नियमावली, 2014कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएं **2(I)** (1) जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में ''अधिनियम'' का तात्पर्य **उत्तर प्रदेश नगर निगम**

ह0.....महापौर

अधिनियम–1959 (यथा संशोधित) से है।

(2) ''विज्ञापनकर्ता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(3) ''विज्ञापन प्रतीक'' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी सतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हों जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो,

(4) ''विज्ञापन'' (advertisement) का तात्पर्य है दीप्तियुक्त (illumination – including digital screen) अथवा दीप्तिहीन कोई ऐसा शब्द, वर्ण, नमूना (model), चिन्ह, विज्ञापन फलक (playcard board), नोटिस, युक्ति (device) अथवा प्रतिरुप (representation), जो विज्ञापन, उद्घोषणा (announcement), या निर्देश (direction), के प्रकार का हो और उन्हीं प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या अंशतः प्रयुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी तख्ती (hoarding), तथा इसी प्रकार के अन्य ढाँचे (structure) हैं जो या तो विज्ञापन के प्रदर्शनार्थ प्रयुक्त होते हों या जो इस प्रकार प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुकूलित कर लिये गये हों,

(5) ''गुब्बारा'' का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी करहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो,

ह०.....महापौर

(6) ''झण्डी'' का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं,

(7) ''झण्डी प्रतीक'' का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रुप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो,

(8) ''निगम'' का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है,

(9) ''विद्युतीय प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज–सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं,

(10) डिजिटल स्क्रीन का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों।

(11) ''भू प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृष्य हो,

(12) ''प्रदीप्त प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो, जिसमें स्थानीय टी0वी0 चैनल/ छविगृहों में प्रदर्शित किया जाने वाला व्यावसायिक (commercial), विज्ञापन भी शामिल हैं।

(13) ''शमियाना विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शमियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो,

(14) ''प्रक्षेपित प्रतीक'' का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,

(15) ''मार्ग अधिकार'' का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है,

(16) ''छत विज्ञापन'' का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित,

(17) ''अनुसूची'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है,

ह०.....महापौर

(18) ''प्रतीक संरचना'' का तात्पर्य किसी ऐसी सरंचना से है जिससे को प्रतीक अवलम्बित हो,

(19) ''कर'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है,

(20) ''स्थायी प्रतीक'' का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वाँछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढाँचा से या उसके बिनाकिसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

(21) ''बरांडा प्रतीक'' का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टाँगे गये किसी विज्ञापन से है,

(22) ''दीवार प्रतीक'' का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो,

(23) ''मैदान'' का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।

2(II) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3–स्थल चयन के लिए समिति का गठन

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई, और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने एवं प्रतिबन्धित स्थलों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे

1.	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2.	प्रभारी विज्ञापन	सदस्य / संयोजक
3.	नगर मे यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग)	सदस्य

ह०.....महापौर

4.	अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
5.	नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग का अधिकारी	सदस्य
6.	सचिव, विकास प्राधिकरण	सदस्य
7.	भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	केन्टोनमेन्ट बोर्ड के अधिशाषी अधिकारी	सदस्य
9.	निगम का यातायात अभियंता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियंता की श्रेणी से निम्न न हो।	सदस्य
10.	मनोरन्जन कर अधिकारी	सदस्य
11.	सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य

टिपप्णी – नगर आयुक्त किसी अन्य सदस्य को सहयोजित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन कर समिति द्वारा विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के अभिज्ञानित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नियत न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4–निषेध

(1) **नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना :**

कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, रेलवे प्रशासन की ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, उपरिगामी सेतु या समस्त संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न

ह०.....महापौर

सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटाकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रुप से श्रव्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के वाहन मार्ग (carriage way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट नियम 18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ठ मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 05 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

5—अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रकिया

(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची—1 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे रु0 500/—भुगतान करके नगर निगम कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम—(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उद्घोषित किया जाना वाँछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी।

(क) विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊँचाई, यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,, सहित लम्बाई, ऊँचाई और भार को दर्शाने पूर्ण विनिर्दिष्ट, जहाँ इसें परिनिर्मित किया जाना हो, उसकी अवस्थित, विनिर्माणकर्ता का नाम और पता तथा जहाँ प्रयोज्य हों, वहाँ प्रकाश पुंजों की संख्या और उसका विद्युत विवरण,

(ख) ऐसे प्रपत्र में विज्ञापन भवन मुख से सम्बन्धित विज्ञापन को दर्शाने वाली ऊँचाई यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो, सहित 1:500 के पैमाने में चित्रित स्थल पर विज्ञापन की स्थिति को इंगित करने वाले अवस्थान योजना और 1:20 के पैमाने या

ह०.....महापौर

उसके यथार्थ गुणक में स्याही से या छापों पर चित्रित पूर्ण विवरण वाला चित्र संलग्न होगा,

(ग) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत–विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू–विज्ञापनों के मामले में सहायक किया विधियाँ और स्थिरक–स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाएं आवेदन पत्र में प्रस्तुत की जायेंगी,

(घ) कोई अन्य विशिष्टिया, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(ड़) गुब्बारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है,

(च) उद्घोषणा (announcement), के द्वारा किये जाने वाले विज्ञापनों के मामले में प्रचारित वार्षिक/अर्द्धवार्षिक विज्ञापन अवधि का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछित हो तो ऐसे आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट।

आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना–संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 के भाग–4 ''संरचना अभिकल्प धारा–1 भार, बल और प्रभाव के अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना या उद्घोषित किया जाना वाँछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा संलग्न होगी।

(5) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत

करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(6) यदि कोई व्यक्ति ट्री–गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री–गार्डो पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस नियमावली के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(7) लोकोपयोगी/जनोपयोगी सूचनायें या जानकारी प्रदर्शित किये जाने वाले पटों में 20 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक भाग विज्ञापन हेतु प्रयोग में लाये जाने पर विज्ञापित क्षेत्रफल के लिए विज्ञापन कर के भुगतान का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप संलग्न करनी होगी।

6—अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें

(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्‌घोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि–

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर, इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जाएगा, समुद्‌भृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 06 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पटों के मध्य की दूरी, विज्ञापन की चौड़ाई या 06 मीटर,, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशाओं में सम्पूर्ण अनुज्ञा अवधि में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(ड़) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसका विवरण नगर आयुक्त को लिखित रुप से उपलब्ध कराना होगा,

(च) विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेगें, प्रदर्शित किये जायेगे, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) विज्ञापन पट इस प्रकार लगाये जायेंगे जिससे आवागमन में किसी प्रकार अवरोध/व्यवधान उत्पन्न न हो,

(झ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,

(ञ) विज्ञापनकर्ता इस नियमावली और विनियमावली का अनुपालन करेगा,

(ट) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए,

(ठ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा सग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी,

(ड) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होगें,

(ढ) समस्त विज्ञापन नियम 16 ''समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें'' में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरुप होगें,

(ण) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़–पौधों में गाड़ा, बाँधा नहीं जायेगा।

(3) **नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जाएगा,**

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है,

(ग) यदि बिना सूचना दिये विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित

ह०.....महापौर

किया जाता है, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ड़) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

7—प्रीमियम

(1) नगर आयुक्त के प्रस्ताव पर विचार कर, कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्येक स्थल के लिए न्यूनतम प्रीमियम धनराशि नियत की जायेगी,

(2) उद्घोषणा, ध्वनि, अन्य माध्यम से छविगृहों अथवा द्वारों के अन्दर किये गये विज्ञापनों पर प्रीमियम देय न होगा।

(3) न्यूनतम सात दिन का समय, मुहरबन्द लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध करने के लिए दिया जायेगा।

(4) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि बैंकर चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में संलग्न करनी होगी।

8—आवंटन समिति एवं उसके कार्यकलाप

(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होगें—

(क) अपर नगर आयुक्त	**सदस्य**
(ख) मुख्य अभियंता (यातायात)	**सदस्य**
(ग) विज्ञापन प्रभारी	**सदस्य/सचिव**
(घ) समस्त जोनल अधिकारी	**सदस्य**

(2) समिति इस नियमावली में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन पत्रों, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तद्नुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम—26 के अधीन कर सहित प्रीमियम की पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। किसी विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धृत करने वाले आवेदकों से पुनः मोहरबन्द प्रस्ताव आमंत्रित करके, उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक रुप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

ह०.....महापौर

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम को अनुमोदित प्रीमियम की 2 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति धनराशि जमा करने के पश्चात् ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जाएगी।

(7) विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रुप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन के बाहर अथवा अन्दर या भूमि पर सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापन कर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर जहाँ नियम–18 के अधीन इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री–गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

9–आवेदनपत्रों की अस्वीकृति के आधार

(1) नियम–4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है :–

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरुप न हो,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(घ) प्रस्ताावित विज्ञापन से तूफान या अधंड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

ह०.....महापौर

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में व्यवधान, अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत होगा।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वाँछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा–172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनाँक को असंदत्त हो।

10–अनुज्ञा प्रदान करने की रीति

किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा–

(1) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(2) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा

(3) आवेदन पत्र आमंत्रित करके,

11–अनुज्ञा की अवधि

अनुज्ञा, अनुज्ञा आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होगी। प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा या नवीनीकरण के दिनाँक से अनाधिक दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी लिखित अनुज्ञा प्रदान की जायेगी या उसका नवीनीकरण किया जायेगा।

12–विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, सुनाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो समिति, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती है या मिटा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती हैः–

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था,

के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरुप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह/पगडण्डी यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापन कर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13—विज्ञापन पर निर्बन्धन

(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि—

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर x 6.1 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02मी0 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग मापे गये 50 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) नियम—3 के अधीन गठित समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पाँच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पटरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित हो,

(सात) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो,

ह0.....महापौर

(आठ) स्थल नियम–22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पटों को निम्नलिखित रुप में अनुज्ञा नहीं दी जाएगी–

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर,

(तीन) नियम–18 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय अन्य मार्गों के यानमार्ग के छोर के 10 मीटर भीतर,

(चार) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(पाँच) ऐसे रुप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विध्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(छः) किसी मार्ग के पार लटकाए गये पटो, भित्ति पत्रकों, वस्त्र–झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो, और इसलिए परिसंकटमय हो,

(सात) ऐसे रुप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(आठ) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो।

(3) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा नहीं होगी–

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप मौसम या दिनाँक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर

ह०.....महापौर

कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है,

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो,

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट , जो इस रुप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14—छत के ऊपर के विज्ञापन पटों के सम्बन्ध में निर्बन्धन

(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पटों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमन्य है,

(2) नियम—6 और नियम—13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट की ऊँचाई, नियम—15(ग)(2) के अनुसार होगी।

15—विज्ञापन पटों के प्रकार

विज्ञापन पट निम्नलिखित प्रकार के हैं—

(क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन,

(ख) भू—विज्ञापन,

(ग) छत विज्ञापन,

(घ) बरामदा विज्ञापन,

(ड़) दीवार विज्ञापन,

(च) प्रक्षिप्त विज्ञापन,

ह०.....महापौर

(छ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन,

(ज) आकाशीय विज्ञापन,

(झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,

(ञ) दुकानों पर विज्ञापन,

(ट) शटर पर विज्ञापन,

क– <u>वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन</u>

क–1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहाँ विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

क–2 **<u>वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन–</u>**

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को भाग–8, भवन सेवायें, धारा–2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क–3 लाल, तृणमणि जैया या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नही किया जायेगा।

क–4 दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 06 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो स्थित सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट समुचित रुप से अवलम्बित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण के लिए किसी विज्ञापन पट या संकेतक के साथ होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रुप में रोका जा सके।

क–5 **<u>गहन प्रदीप्त–</u>**

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती आवासीय भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के

ह०.....महापौर

होते हुये भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रुप में परिवर्तित कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क–6 <u>परिवर्तन अवधि–</u>

लोक सौहाद्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, नगर आयुक्त की राय में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क–7 **<u>चौधने वाला, औझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला–</u>**

चौंधने वाला, ओझल करने वाला जीवंतता परक विज्ञापन पटि्टका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, परिनिर्मित की जाएगी ताकि ऐसे विज्ञापन पटों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क–8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख–भू विज्ञापन

ख–1 <u>सामग्री–</u>

ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू–विज्ञापन, नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख–2 <u>आयाम–</u>

भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊँचाई तक कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग से ऊपर जा सकता है।

ह०.....महापौर

ख–3 **<u>अवलम्ब और स्थिरक स्थान–</u>**

प्रत्येक भू–विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जाएगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होगें या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख–4 **<u>स्थल सफाई –</u>**

किसी स्थल जिस पर कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख–5 **<u>यातायात में आपत्ति –</u>**

ऐसा कोई भू–विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

ख–6 तल निर्बाधन के समस्त भू–विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख–7 भू–चित्रित विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, वहाँ नियम–16 की अपेक्षाओं के अनुरुप होंगे।

ग–छत विज्ञापन

ग–1 **<u>सामग्री–</u>**

नियम–16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू–आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियाँ अक्षरों या अन्य साज–सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेंगी।

ग–2 **<u>आयाम–</u>**

ह०.....महापौर

कोई छत विज्ञापन, ऊँचें भवनों पर निम्नलिखित ऊँचाइयों से अधिक नहीं होगा :

भवन की ऊँचाई	**विज्ञापन की ऊँचाई**
(क) चार मंजिल या 18 मीटर से अनधिक	02 मीटर
(ख) पाँच से आठ मंजिल या 18 मीटर से अधिक किन्तु 36 मीटर से अनधिक	03 मीटर
(ग) आठ मंजिल से अधिक या 36 मीटर परन्तु ऐसे विज्ञापनों की ऊँचाई की गणना करने में उसी भवन के विभिन्न तलों पर एक दूसरे के ऊपर रखे गये या समतलों पर रखें गये या समतलों पर रखे गये विज्ञापनों को एक विज्ञापन समझा जाएगा, चाहे ऐसे विज्ञापन विभिन्न स्वामियों से सम्बन्धित हो या न हो।	05 मीटर

ग–3

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन, किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक सम्पूर्ण छत निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग–4 **क्षेपण :** कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन के परे क्षेपित नहीं होगा जिस पर यह परिनिर्मित हो या वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ह०.....महापौर

ग–5 **<u>अवलम्ब और स्थिरक :</u>** प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रुप में संवितरित होंगे।

ग–6 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग–7 चित्रित छत विज्ञापन, नियम–16 '' समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं'' जहाँ प्रयोज्य हो, के अनुरुप होंगे।

घ–बरामदा

घ–1 **<u>सामग्री–</u>** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम–16 के उपनियम–(4) में की गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

घ–2 **<u>आयाम–</u>** कोई बरामदा विज्ञापन ऊँचाई में 01 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ–3 **<u>सरेखण–</u>** प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–4 **<u>स्थान–</u>** बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगायी जायेगी।

(एक) बरांडा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ट न हो,

(दो) बरांडा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक बहिर्निष्ट न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुये विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ–5 **<u>लटकते हुये बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊँचाई–</u>** किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका

ह०.....महापौर

इस प्रकार लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो। भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जाएगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जाएगा।

घ–6 **<u>प्रक्षेपण–</u>** घ–4 में यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ड़–दीवार विज्ञापन :–

ड़–1 **<u>पदार्थ–</u>** 4 मी0 क्षेत्रफल से अधिक का प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका नियम–14 के उपनियम (4) में दिये गये ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग में यथा उपबन्धित के सिवाय अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

ड़–2 **(क)परिमाप–** किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 20 मीटर से अधिक परिमाप नहीं होगी, सड़क के सामने जिधर ऐसी विज्ञापन पट्टिका का सामना पड़ता हो, 15 मीटर के भवन, अग्रभाग के संबंध में प्रेक्षागृह या सिनेमा के नाम वाले किसी दीवार विज्ञापन पट्टिका के मामले को छोड़कर ऐसे विज्ञापन पट्टिका का कुल क्षेत्रफल 200 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) 30 मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला कोई दीवार विज्ञापन पट्टिका किसी ऐसी दीवार पर नहीं लगायी जायेगी जो सीधे सड़कर के सामने न पड़ती हो, परन्तु ऐसी विज्ञापन पट्टिका या विज्ञापन पट्टिकाएं सड़क से दृश्यमान पार्श्व दीवार क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ड़–3 **<u>प्रक्षेपण–</u>** कोई भी दीवार विज्ञापन पट्टिका उस दीवार के जिससे वह लगी हो, प्रक्षेपण शिखर के ऊपर या उसके अन्तिम छोर के बाहर नहीं निकली होगी।

किसी ऐसे स्थान पर जहां पदयात्री किसी ऐसे दीवार के पास से होकर गुजरते हों, लगी कोई विज्ञापन पट्टिका वहां से 7.5 सेंटीमीटर से अधिक प्रक्षिप्त।

ड़–4 **<u>अवलम्ब एवं संलग्न–</u>** दीवार से लगी प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्टिका सुरक्षित रूप से एवं लगी होगी। लकड़ी के कुन्दे या स्क्रू–स्टेपल्स या कील के संबंध में प्रयुक्त लकड़ी के साथ स्थिरण को, लकड़ी की दीवारों से लगी दीवार विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले को छोड़कर, उचित स्थिरण नहीं माना जायेगा।

च– <u>प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं</u>

च–1 सामग्रीः प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च–2 प्रक्षेपण एवं ऊँचाई कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

ह०.....महापौर

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी—निर्माण किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊँचाई 06 मीटर होगी।

च–3 अवलम्ब एवं संलग्नः प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च–4 अतिरिक्त भार ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति का थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्याधिक उल्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छ–<u>शामियाना विज्ञापन पट्टिका</u>

छ–1 सामग्री : शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होगी।

छ–2 ऊँचाईः ऐसे विज्ञापन पट्टिकाएं 02 मीटर से ऊँची नहीं होगी और ने तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और ने पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ–3 लम्बाईः शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज–<u>आकाश विज्ञापन पट्टिका–</u>

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। अधिकतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ–अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

ह०.....महापौर

झ–1 प्रकार 1.2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जाएगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरांदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर–पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ङ) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अर्न्तगत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं है।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर से अनधिक हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक की दशा में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ–2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकाएं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) **पोल विज्ञापन पट्टिका :** पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती है, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

ह०.....महापौर

(पांच) **झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकाएं :** किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हो, सुदृढ़ रूप से बनी होगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होगी। जैसे ही वे फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाये, उन्हें, यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिनं की अवधि तक लटकाई जा सकती है।

(छः) अधिकतम आकार अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।

(सात) **प्रक्षेपण :** कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) **विशेष अनुमति :** भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुए सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर–पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए बिल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरूपित न हों।

टिप्पणी : मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरादायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरादायी मानें जायेंगे।

15(अ) तकनीकी प्रगति एवं सामयिक सन्दर्भों के अनुरुप विशेष मार्गों या स्थलों पर एकरुपता एवं सौन्दर्य के आधार पर स्थल चयन समिति द्वारा यथोचित मापदण्ड निर्धारित किया जा सकेगा।

16 <u>**सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकताएं**</u>

16(1) भार : विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग–6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड–1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी, डेड से इंस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(2) कोई भी विज्ञापन पट्टिका जो विद्युत साधन और विद्युत युक्तियां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग–8, भवन सेवाएं खण्ड–2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी।

(3) ऐसे विज्ञापन पट्ट जिनमें विद्युत का प्रयोग किया जायेगा, उसका स्वतन्त्र विद्युत कनेक्शन एवं मीटर विज्ञापनकर्ता एजेन्सी द्वारा स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(4) <u>**विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान :–**</u>

(क) किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रूकावट नहीं आनी चाहिए।

(ख) किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रूकावट नहीं आनी चाहिए।

ह०.....महापौर

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। भू–दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका न लगायी जाय।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पट्टिकाएं लाइटिंग फिक्सचर से युक्त होनी चाहिए।

(ङ) सूचना विज्ञापन पट्टिकाएं स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से वर्जन किया जाना चाहिए।

(छ) विज्ञापन पट्टिकाएं इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियां लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिए।

(4) दहनशील पदार्थों का प्रयोग –

(एक) सजावटी विशिष्टता : ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहां अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

(दो) विज्ञापन पट्टिका का फलक : विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पट्टिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरूपण :

जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसानी या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जाऐगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिए।

(6) अनुज्ञा–पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन :

अनुज्ञा–पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17 दुकानों पर विज्ञापन –

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण –

(एक) यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किए जाए तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायगा और वे इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ वस्तु का चित्रण या कम्पनी का अधिकृत लोगो **(Logo)** या स्लोगन **(Slogan)** मुद्रित तथा वस्तु के गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतन्त्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगी।

18 मार्गाधिकार(राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर)के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन –

उसकी क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्यमार्ग को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :–

(1) **मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन –**

(एक) **अभिकल्प :** विज्ञापन फलक की चौड़ाई केन्द्रीय छोर या पगडण्डी आदि पर सड़क प्रकाश खम्भे के स्थान पर निर्भर करेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

निम्नलिखित प्रकार की व्यवस्था के लिए अनुज्ञा होगा :–

(क) व्यवस्था–एक – जब मध्य चौड़ाई 2 मीटर से अधिक हो तो व्यवस्था–एक की अनुज्ञा दी जा सकती है। (चित्र–1)

(ख) व्यवस्था–दो – जब मध्य चौड़ाई 2 मीटर से अधिक हो तो व्यवस्था–दो की अनुज्ञा दी जा सकती है। (चित्र–2)

(ग) व्यवस्था–तीन – जब खंभा पगडंडी पर स्थित हो तो व्यवस्था–तीन की अनुज्ञा दी जा सकती है। (चित्र–3)

टिप्पणी:–ऊपर चित्रों में प्रदर्शित फलकों के साथ–साथ अतिरिक्त विज्ञापन फलक की अनुज्ञा दी जा सकती है किन्तु फलकों के मध्य न्यूनतम उर्ध्व निकास 0.5 मीटर की होगी।

(दो) विज्ञापन पट्ट का आकार 0.75 मीटर व 1.0 मीटर से अधिक नहीं होगा।

(तीन) भू–तल के ऊपर से विज्ञापन पट्ट के निचले तल तक न्यूनतम निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होगा।

(चार) निगम द्वारा फ्रेम लगाये जा सकते हैं और नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार अभिकरण द्वारा संप्रदर्शन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(2) **बस सायबानों पर विज्ञापन :**

अभिकल्प : बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए, विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जाएगी। बस सायबानों पर विज्ञापन फलक के आकार निम्नलिखित हैं :–

(क) टाइप 1 : 7.3 मीटर × 0.76 मीटर

(ख) टाइप 2 : 9.1 मीटर × 0.76 मीटर

(ग) टाइप 3 : 11.0 मीटर × 0.76 मीटर

चित्र–4 बस सायबानों पर विज्ञापन के संप्रदर्श के ब्यौरे को प्रदर्शित करता है।

ह०.....महापौर

(3) **स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन :** नियम उप नियम 2 के खण्ड (तीन) के अनुसार यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी। **चित्र–5 ब्यौरे को प्रदर्शित करता है।**

(4) **यातायात रोटरी और आइलैण्ड**

नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को यातायात विभाग के राजपत्रित अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(यातायात) नगर निगम कानपुर के परामर्श से रोटरी व आईलैण्डों तथा यातायात बूथों के विकास व रख–रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। संप्रदर्शन पट्टी का आकार यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात बूथ के स्थान और आकार और यातायात की गति पर निर्भर करेगा। किन्तु संप्रदर्शन की ऊँचाई रोटरी/आईलैण्ड/यातायात बूथ की ऊँचाई से अधिक होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(5) **मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां**

नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय–समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख–रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिए आबद्धकर होगा।

(6) **वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड) :** नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण (Agency) को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने के साथ–साथ अभिकरण (Agency) को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं।

(7) **पुष्प पात्र स्टैण्डस :** नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प का पूरा पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख–रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम 0.45 मीटर × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्टी के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायगा।

19– **छूट** **(1)** इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी।

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(तीन) किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

ह०.....महापौर

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, आमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो, परन्तु यह 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

(सात) इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अर्न्तगत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस नियमावली के अनुपालन में परिनिर्माण या रख–रखाव के उत्तरादायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट : नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी :–

(एक) **भण्डारण विज्ञापन पट्ट :** किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट, जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते होंः विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(दो) **सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट :** किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हैं।

(तीन) **नाम पट्ट :** किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्ग मीटर से अधिक न हो।

(ख) खण्ड (2) ऐसे परिसरों संबंधित विज्ञापन जिस पर उन्हें संप्रदर्शित किया जाय–

(क) ऐसी भूमि या भवन, जिस पर विज्ञापनपट्ट संप्रदर्शित किया जाए, के संबंध में पहचान, निर्देश या चेतावनी के प्रयोजन के लिए विज्ञापन, किन्तु किसी ऐसे विज्ञापन की दशा में क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

कदम पर ध्यान	ऊषा किरन	मोहन की सम्पत्ति लाल एवं कम्पनी

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के संबंध में विज्ञापन, जो ऐसे परिसर पर किसी व्यवसाय, कारोबार या व्यापर चला रहे हों, जहां ऐसे विज्ञापन संप्रदर्शित किये गये हैं और वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बन्ध में केवल एक विज्ञापन तक सीमित हो और क्षेत्रफल में 0.3 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

रामलाल एवं कम्पनी

ह०.....महापौर

(ग) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन सम्बन्धी, चिकित्सीय या तत्सदृश प्रकृति की किसी संस्था से सम्बन्धित या ऐसी भूमि जिस पर ऐसा विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किया गया हो, पर स्थित किसी होटल, सर्वाजनिक गृह, डाकबंगला, फ्लैट ब्लाक, क्लब, छात्रावास या होटल से संबंधित विज्ञापन पट्ट जो ऐसे व्यक्ति, भागीदारी या कम्पनी के सम्बंध मे क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

इंजीनियरिंग कालेज	अवकाश गृह	रोटरी क्लब

(ग) खण्ड (3) अस्थाई प्रकृति के विज्ञापन –

(क) ऐसी भूमि जिस पर विज्ञापन पट्ट संप्रदर्शित किये गये हों, के विक्रय या किराये पर देने से सम्बन्धित विज्ञापनों, ऐसे प्रत्येक विक्रय या किराये पर देने के सम्बंध में वह केवल एक विज्ञापन तक सीमित, किन्तु वह क्षेत्रफल में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।

उदाहरण–

किराये पर देने हेतु	विक्रय हेतु घर

(ख) सामान या पशुधन के विक्रय को घोषित करते हुए विज्ञापन और ऐसी भूमि पर संप्रदर्शित, जहां ऐसे सामान या पशुधन स्थित हो या जहां ऐसा विक्रय किया जाता है, जो क्षेत्रफल में 1.2 वर्गमीटर से अनधिक एक विज्ञापन तक सीमित हो।

उदाहरण–

विक्रय इसी सप्ताह	**पशु विक्रय**

20. **भू–विज्ञापन पट्ट** : नीचे सूचीबद्ध भू–विज्ञापन पट्ट के लिए अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी :–

(एक) **यात्रा मार्ग निर्देश :** किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण या रखरखाव उसे यात्रा मार्ग लाइन के स्थान किसी रेल मार्ग, स्टेशन या अन्य सार्वजनिक वाहक को निर्दिष्ट करते हों, तब वे क्षेत्रफल में 0.5 मीटर से अधिक न हो।

(दो) **राजमार्ग विज्ञापन पट्ट :** सामान्यतः निम्नलिखित वर्गो के विज्ञापन बिना अनुज्ञा के अनुज्ञेय हैं, यद्यपि वे नियम 15 के उप नियम (2) में दिये गये सिद्धान्तों के युक्तियुवत रूप से अनुरूप हों।

(क) **वर्ग (1) आधारभूत विज्ञापन :**

(क) अपने शासकीय या निर्देशित कर्तव्यों के निष्पादन में किसी लोक या न्यायालय अधिकारी के निर्देशों के द्वारा यह अधीन लगाये गये या संददर्शित किये गये शासकीय चेतावनी, संकेत, यातायात निर्देश विज्ञापन स्तम्भ और नोटिसें या विज्ञापन।

उदाहरण –

आगे मार्ग विभाजक

ह०.....महापौर

(ख) सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर दिशा संकेत यथा – पेट्रोल भरने के स्टेशन, चिकित्सालय, प्राथमिक उपचार केन्द्र, पुलिस स्टेशन और दमकल केन्द्र।

उदाहरण –

चिकित्सालय बस स्टशेन	बस स्टेशन

(ग) मुख्यतः किसी शहर, नगर ग्राम या ऐतिहासिक स्थान, समाधि पर्यटक रूचि स्थल।

उदाहरण –

एलोरा गुफाएं	फरीदाबाद नगर

(घ) सशस्त्र सेना के सदस्यों या जनता की सूचना के लिये रक्षा विभाग द्वारा परनिर्मित विज्ञापन–पट्ट या सूचना पट्ट आदि।

उदाहरण –

(ङ) क्षेत्रफल में 0.2 वर्गमीटर तक सीमित या उससे कम की सम्पत्ति के अतिचार का प्रतिबन्धित करने से संबंधी विज्ञापन पट्ट।

उदाहरण –

निजी सम्पत्ति	अतिचारी को अभियोजित किया जाएगा

(च) 0.2 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल के विज्ञापन पट्ट या सूचना पट्ट, जो इस प्रकार लगाये गये हों कि वे किसी आवास की दिशा को प्रदर्शित करते हों और वे वाहन मार्ग से समुचित दूरी पर लगाये गये हों।

(ज) ऐसे विज्ञापन, जो भवन के बाहर अथवा तत्सृदश कार्य के लिए भूमि पर प्रदर्शित किये जायें, किन्तु इसका क्षेत्रफल 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।

ह०.....महापौर

ऐसी भूमि, पर जिस पर विज्ञापन सप्रदर्शित किये जाये भवन सम्बन्धी या तत्सदृश कार्य किये जाने से सम्बन्धित विज्ञापन के क्षेत्रफल में 02 वर्गमीटर से अधिक न हो।

सतर्क खुदाई प्रगति

(घ) किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक राजनैतिक सामाजिक या मनोरंजन सम्बन्धी प्रकृति के किसी स्थानीय घटना, जो ऐसा कार्यकलाप न हो, जिसे व्यावसायिक प्रयोजन के लिये प्रोन्नत किया या चलाया जा रहा है हो, की घोषणा करता हुआ विज्ञापन, जो किसी परिसर पर 0.6 वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र अध्यासित करने वाले विज्ञापन पट्ट के प्रदर्शन तक सीमित हो।

उदाहरण –

दीवाली मेला	पुष्प प्रदर्शनी

(2) <u>अस्थाई विज्ञापन पट्ट :</u>

(एक) निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद् के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान (अनुसूची–3 देखें) के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जाये।

(दो) विशेष संप्रदर्शन संकेत : अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धमार्थ प्रयोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी सप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी पारिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है (नियम–15झ, (2) अस्थाई विज्ञापन पट के लिए आवश्यकता देखिए।

(5)अनुसूची 3 में दिये गये विज्ञापन पट्टो की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं के लिये किसी अनुज्ञा–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

21 <u>विशेष विज्ञापन</u>

ह०.....महापौर

(1) यदि अनुसूची–2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

22. <u>विशेष नियंत्रण का क्षेत्र</u>

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस नियमावली में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञान विज्ञापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परनिर्माण औ प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरूद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स कैफे, ''डांसिंग' या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष

ह०.....महापौर

नियंत्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियंत्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

23. निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, चिपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकता है।

24. झण्डियों/बैनरों पर रोक

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा नियम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रूपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और उसे समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

25 अनुरक्षण और निरीक्षण

(1) अनुरक्षण : सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है अविलम्बो, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग–रोगन किया जायेगा।

ह०.....महापौर

(2) सुव्यवस्था : प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें।

(3) निरीक्षण : प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

26. **प्रवेश और निरीक्षण की शक्तिः**

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जॉच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु–

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) सदैव समुचित ध्यान दिया जायेगा जिससे कि ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं से स्पर्द्धा किया जा सके, जिसके लिए प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं के लिये प्रवेश दिया जाए।

26– **कर भुगतान की रीति**

अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर दो समान किश्तों में अग्रिम रुप से संदेय होगा। जब तक प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाय तब तक कोई विज्ञापन पट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

27– **क्षेत्रों का वर्गीकरण**

प्रतिषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा जिसमें परिवर्तन का अधिकार नगर आयुक्त के पास सुरक्षित रहेगा।

ह०.....महापौर

(एक) **सर्वोचित वर्ग :–** 1. मरे कम्पनी ब्रिज से परेड चौराहे तक, 2. मेघदूत तिराहे से स्टॉक एक्सचेन्ज क्रासिंग तक, 3. आदर्श व्यायामशाला से कचहरी होते हुये लाल इमली क्रासिंग तक 4. उपरोक्त क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों पर।

(दो) **'अ' वर्ग :–** 1. परेड क्रासिंग के बाद से चुन्नीगंज होते हुये बकरमण्डी ढाल तक (लाल इमली चौराहे के आस–पास छोड़कर), 2. स्टॉक एक्सचेन्ज क्रासिंग के बाद से वी0आई0पी0 रोड होते हुये रावतपुर तिराहे तक, 3. घन्टाघर चौराहे से हालसी रोड होते हुये परेड चौराहे के पहले तक, 4. बिरहाना रोड, मेस्टन रोड तथा लाटूश रोड।

(तीन) **'ब' वर्ग :–** 1. बकरमण्डी चौराहे से मेडिकल कालेज चौराहा होते हुए रावतपुर तक, 2. तिलकनगर, स्वरुपनगर व आर्यनगर क्षेत्र, 3. घन्टाघर चौराहे से किदवईनगर बाईपास तक, 4. किदवईनगर से बारादेवी रोड गोबिन्दनगर, चावला मार्केट क्रासिंग तक, 5. जरीब चौकी से विजयनगर क्रासिंग तक कालपी रोड, 6. विजयनगर से डबल पुलिया होते हुये रावतपुर क्रासिंग तक, 7. आई हास्पीटल सर्वोदयनगर से गोबिन्दपुरी पुल होते हुये बर्रा बाईपास क्रासिंग तक, 8. विजयनगर से सी0टी0आई0 नहर तक, 9. सी0टी0आई0 से चावला मार्केट तथा सम्पूर्ण गोविन्दनगर क्षेत्र, 10 गंगापुल जाजमऊ से रामादेवी होते हुए जी0टी0 रोड टाटमिल क्रासिंग होते हुए मेडिकल कालेज चौराहे तक, 11. लाल बंगला सम्पूर्ण क्षेत्र, तथा जाजमऊ सम्पूर्ण क्षेत्र 12. बजरिया, पी0रोड व 80 फिट रोड से कबाड़ी मार्केट तक।

(चार) **'स' वर्ग :–** 1. घन्टाघर से डिप्टी पड़ाव होते हुये जरीब चौकी क्रासिंग तक, 2. डिप्टी पड़ाव चौराहे से अफीम कोठी हमीरपुर रोड होते हुये नौबस्ता क्रासिंग, 3. विजयनगर क्रासिंग से पनकी बाईपास तक 4. रावतपुर चौराहे से जी0टी0रोड के माध्यम से गुरुदेव टाकीज क्रासिंग तक 5. हर्षनगर पेट्रोल पम्प से कोका कोला क्रासिंग होते हुये विजयनगर तिराहे तक।

(पाँच) **'द' वर्ग :–** ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)

28– **हटाये जाने की लागत**

नियम–12 के उपनियम–(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत होगी–

(क)	6.1 मी0 X 3.05मी0 या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 5000 / –
(ख)	ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पटों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट को हटाने की लागत	रु0 8000 / –

ह0.....महापौर

(ग)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट को साफ करने की लागत	रु0 2000/–
(घ)	निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	रु0 10000/–

29– <u>**अपराधों के लिए दण्ड और उनका प्रशमन**</u>

(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम(1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अनुसूची – 1

(नियम 5(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन–पत्र

पासपोर्ट आकार का चित्र

आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम ....

अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम ....

पता ....

आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार ....

विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार ....

स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति ....

भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम ....

ह0.....महापौर

क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है?..

(एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण–पत्र के साथ स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाये।

(दो) स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि चूक की दशा में वह विज्ञापनकर्ता को देय कर के भुगतान का दायी होना, संलगन करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट

(एक) अनूसूची–2 के अनुसार वार्षिक कर

(दो) किश्त की धनराशि

कोई अन्य विवरण ....

....

संलग्नक :

दिनांक : आवेदक के हस्ताक्षर

अनुसूची–2
(नियम 26 देखें)
विज्ञापन और विज्ञापन पट पर कर की दरें

1. निगम द्वारा स्वामित्वाधीन .... भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थ्लों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए –

प्रवर श्रेणी	:	रू0 3000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''अ'' श्रेणी	:	रू0 2500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''ब'' श्रेणी	:	रू0 2000/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''स'' श्रेणी	:	रू0 1500/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
''द'' श्रेणी	:	रू0 1200/– प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2. इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजीटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापनपटों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।
2. (1) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।
3. ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट जो विद्युत प्रकाश युक्ति (बैक लिट/फ्रन्ट लिट) द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होगीं।

ह०.....महापौर

3. (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन : रू0 500/— प्रतिमाह प्रति वाहन

भारी वाहन : रू0 2000/— प्रतिमाह प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर —

(एक) तीन पहिया : रू0 100/— प्रति दिन

(दो) चार पहिया : रू0 500/— प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : रू0 1000/— प्रति दिन

4. विद्युत तथा अन्य खम्बों पर विज्ञापन पट —

प्रवर श्रेणी : रू0 4000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''अ'' श्रेणी : रू0 3000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''ब'' श्रेणी : रू0 2000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''स'' श्रेणी : रू0 1500/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

''द'' श्रेणी : रु0 1200/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5. यूनीपोल/कैन्टीलीवर/गेन्ट्री

1. प्रवर श्रेणी : रु0 5000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2. ''अ'' श्रेणी : रु0 4000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3. ''ब'' श्रेणी : रु0 3000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4. ''स'' श्रेणी : रु0 2500/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5. ''द'' श्रेणी : रु0 2000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

6. पोस्टर रू0 300/— प्रति सैकड़ा

7. परचा रू0 600/— प्रति हजार

8. पताका (बैनर) रू0 100/— प्रति बैनर

9. गुब्बारे रु0 500/— प्रति गुब्बारा प्रति दिन

10. छतरी (कैनोपी) रु0 500/— प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन

11. ट्री गार्ड मद(1) के अनुसार

12. पुलिस बूथ/ट्रैफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)

1. प्रवर श्रेणी : रु0 5000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

ह०.....महापौर

2.	''अ'' श्रेणी	:	रु0 4000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3.	''ब'' श्रेणी	:	रु0 3000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4.	''स'' श्रेणी	:	रु0 2000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5.	''द'' श्रेणी	:	रु0 1500/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

13. बस सायबान(बस शेल्टर)

1.	प्रवर श्रेणी	:	रु0 4000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
2.	''अ'' श्रेणी	:	रु0 3000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
3.	''ब'' श्रेणी	:	रु0 2500/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
4.	''स'' श्रेणी	:	रु0 2000/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
5.	''द'' श्रेणी	:	रु0 1500/— प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

14. उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का विज्ञापन कर मद सं0—1 के अनुसार लिया जायेगा।

(क) रेडियो चैनल से उद्घोषणा द्वारा विज्ञापन दर — रु0 1.00 प्रति सेकेण्ड

15. ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 100/— प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन

16. जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका विज्ञापन कर मद—1 के अनुसार देय होगा।

1. इस अनुसूची के निर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।
2. स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत वृद्धि की गणना के उद्देश्य से रूपये का कोई भाग छोड़ दिया जायेगा।
3. नियम (26) के प्राविधानों के अधीन कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।
4. यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है तो अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।
5. यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक तथा 6 माह से कम अवधि के लिए प्रदर्शित करना चाहता है तो कर मासिक आधार पर आगणित होगा किन्तु एक किश्त में देय होगा।

ह0.....महापौर

6. एक माह से कम अवधि हेतु विज्ञापन पट लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो एक माह का विज्ञापन कर देय होगा।

7. कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

.... निर्णय लिया गया कि 30 दिन के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कराने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जाये।

प्र0सं0–672

प्रस्ताव

विषय :–जोन–03 के अन्तर्गत किदवई नगर चौराहे पर शहीद आलोक साहू की प्रतिमा लगाने एवं किदवई नगर चौराहे से कालोनी को जाने वाली सड़क का नामकरण शहीद आलोक साहू करवाने के सम्बन्ध में।

कृपया विषयांकित का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि आई0एन0एस0 सिन्धु रक्षक पनडुब्बी में शहीद आलोक साहू के शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 द्वारा दिनांक 05.06.2014 को उनके निवास बाबूपुरवा लेगर कालोनी, कानपुर का भ्रमण किया गया था। भ्रमण के दौरान शहीद आलोक साहू के परिजनों द्वारा प्रार्थना पत्र देकर किदवई नगर चौराहे पर शहीद की प्रतिमा लगाने तथा किदवई नगर चौराहे से कालोनी के अन्दर आने वाले मुख्य मार्ग का नामकरण शहीद आलोक साहू मार्ग करवाने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त के क्रम जिलाधिकारी महोदया के पत्र संख्या 454/आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक–जून 05, 2014 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को अग्रसारित किया गया है।

तद्नुसार जोन–03 के अन्तर्गत किदवई नगर चौराहे पर शहीद आलोक साहू की प्रतिमा लगाने एवं किदवई नगर चौराहे से कालोनी को जाने वाली सड़क का नामकरण शहीद आलोक साहू करवाने की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

.... निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा लगाया जाना मा0 सर्वोच्च न्यायालय/शासन द्वारा प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में किदवई नगर चौराहे से कालोनी को जाने वाली मुख्य सड़क का नामकरण शहीद आलोक साहू मार्ग तथा चकेरी मंगला विहार सड़क का नामकरण शहीद आशीष यादव मार्ग किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0–673

प्रस्ताव

नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक– 27.06.2014 के अनुपालन में मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन से निम्नलिखित विषय पर अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत है:–

विषयः– नौका विहार परिसर के बाहर सीमेन्टेड भाग पर प्रातः 04:00 बजे से 11:00 बजे तक फूल विक्रेताओं को फूल विक्रय करने की अनुमति प्रदान किया जाना।

ह०.....महापौर

उक्त स्थल पर फूल विक्रेताओं को प्रातः 04:00 बजे से 11:00 बजे तक फूल विक्रय करने वाले दुकानदारों से भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार यूजर चार्ज रू0 05/– से 25/– तक वसूल किये जाने पर निम्न प्रतिबन्धो के साथ प्रभावी किया जाना।

1. नौका विहार में सांस्कृतिक/सामाजिक कार्यक्रमों की बुकिंग होने की दशा में बुकिंग की तिथि में फूल विक्रय की अनुमति नही होगी।
2. स्थल पर किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण किये जाने एवं टट्टर आदि लगाने की अनुमति नही होगी।
3. प्रातः 04:00 बजे से 11:00 बजे के उपरान्त स्थल पूरी तरह से खाली करना होगा।
4. स्थल पर किसी प्रकार की टूटफूट अथवा सरकारी सम्पत्ति की क्षति होने पर पुर्नस्थापन व्यय फूल उत्पादक जन–कल्याण कमेटी उ0प्र0 से वसूल किया जायेगा।
5. फूल विक्रेताओं द्वारा मार्ग पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी/सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रेषित।

.... स्वीकृति प्रदान की गई।

प्र0सं0–674

<u>प्रस्ताव</u>

सचिव, नगर विकास के पत्र संख्या 11183/स0न0वि0/2014 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा मेसर्स स्मार्ट एल0ई0डी0 लाईटिंग सॉल्यूशन, मुम्बई के सम्बन्ध में प्रस्ताव माँगा गया था। इस प्रस्ताव में ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से एनर्जी सेविंग लाइट (एल0ई0डी0) लगाने का प्रस्ताव था, जिससे कि स्ट्रीट लाइट के लोड को समुचित प्रकाश व्यवस्था करते हुये घटाया जा सके। इसमें यह भी प्रस्ताव था कि कम्पनी सभी फिटिंगों को अपने व्यय पर बदलेगी तथा बिजली के बिल में जो बचत होगी, उस धनराशि के एक निश्चित भाग फर्म को देय होगा। प्रथम चरण में कानपुर नगर के जोन–2 एवं जोन–4 में यह कार्य प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/253/सी0ई0(एल0)/2014–15 दिनांक–11.07.2014 के द्वारा नगर निगम द्वारा शासन को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई थी। मेसर्स स्मार्ट एल0ई0डी0 लाईटिंग सॉल्यूशन, मुम्बई के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें से मुख्य बिन्दु निम्नवत् है।

1. एल0ई0डी0 लाइट के बदले जाने का सम्पूर्ण व्यय फर्म का होगा जिस पर निगम को किसी भी प्रकार की पूँजी का निवेश नही करना होगा।
2. एल0ई0डी0 लाइट से 70 से 75 प्रतिशत ऊर्जा की बचत वर्तमान बिजली की दरों पर होगी।
3. 10 वर्षो तक यह फर्म का दायित्व होगा कि वह एल0ई0डी0 लाइट के खराब होने की दशा में बदलने व अनुरक्षण का कार्य करायेगी।
4. प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली बिजली की बचत के समतुल्य राशि के निश्चित भाग को प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित फर्म को देय होगा।
5. निर्धारित बचत में कमी होने पर अर्थदण्ड का भी प्राविधान होगा।

कानपुर का एनर्जी ऑडिट बी0ई0ई0 द्वारा कराया जा चुका है। जिसमें नगर निगम की स्ट्रीट लाइट भी शामिल है। इसकी डी0पी0आर0 बी0ई0ई0 की गाईड लाइन के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (पी0पी0पी0 मॉडल) पर एनर्जी ऑडिट के अनुसार बनाने हेतु तथा सीजन के अनुसार कन्ट्रोल मिकेनिज्म बनाने हेतु कन्सलटेन्ट की आवश्यकता है। कन्सलटेन्ट का चयन या तो शासन स्तर से किर दिया जाय अथवा नगर निगम को कन्सलटेन्ट नियुक्त हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। अन्तिम टेण्डर प्रक्रिया के पश्चात पुनः यह प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से मा0 सदन में स्वीकृतार्थ प्रेषित किया जायेगा।

ह०.....महापौर

अतः अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्ताव प्रेषित है।

.... स्वीकृति प्रदान करते हुये सदन को अग्रसारित किया गया।

सभापति ने कहा कि नगर निगम सचिवालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित नही हो पा रहा है, क्योंकि सचिव नगर निगम के पास जोन का भी अतिरिक्त प्रभार है। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि श्री विजय श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अनुभागीय अधिकारी जो पूर्व में सचिवालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित कर चुके है तथा उन्हें सचिवालय के कार्यो का अनुभव भी है। अतः श्री विजय कुमार श्रीवास्तव को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाना उचित होगा।

.... सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

सभापति ने कहा कि जलकल विभाग द्वारा सीवर सफाई हेतु जो सुपर सकर मशीन क्रय की गई है, उसको चलाने हेतु जलकल विभाग में कोई भी प्रशिक्षित कर्मचारी नही है, जिसके कारण वह काफी समय से खड़ी है और उसका उपयोग नही हो पा रहा है। अतः सुपर सकर मशीन को चलाये जाने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षित चालक को नियुक्त किया जाना उचित होगा।

.... सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त करते हुये स्वीकृति प्रदान की ।

अन्त में सभापति द्वारा सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही का समापन किया गया।

ह0.......
(जगतवीर सिंह द्रोण)
महापौर/सभापति